

पहली FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2016-2017

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अगस्त, August, 2016

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2016-2017.

वर्ष 2016-17 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 51 अनुदान मांगें तथा 1 विनियोग है। ₹1,03,013.74 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹20,948.26 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/ वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹82,064.80 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹68 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

कोष को अंतरण (₹200 करोड़) (ii) एकीकृत

कृषि विपणन स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण गोदामों

का निर्माण (₹200 करोड़)।

INTRODUCTORY NOTE

Subject: First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2016-2017.

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2016-17 includes 51 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,03,013.74 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹20,948.26 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹82,064.80 crore. Besides, token provision of ₹68 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

				(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant I	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नव	न्द व्यय	Cash O	utgo			
कृषि	षे और किसान कल्याण मंत्रालय		STRY OF AGRICULTURE AND RMERS WELFARE			
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 De	partment of Agriculture, Cooperation			
		and	d Farmers Welfare			
	(क) निम्न लिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) कृषोन्नित योजना - राज्य आयोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.54 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक आयोजना (₹0.96 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.48 करोड़) कृषोन्नित योजना - केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तंत्रीयकरण उप-मिशन के अंतर्गत (iii) कार्यालय खर्च (₹25.85 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.50 करोड़) कृषोन्नित योजना के अंतर्गत कृषि विस्तार उप-मिशन के तहत किसान प्रकोष्ठ केंद्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए (iv) प्रधानमंत्री फसल	(a)	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General to National Mission on Sustainable Agriculture under Krishonnati Yajna-State Plan (₹5 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹4.54 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹0.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹0.48 crore) under Sub-mission on Agricultural Mechanization under Krishonnati Yojna-Central Sector (iii) Office Expenses (₹25.85 crore) and Professional Services (₹0.50 crore) under Sub-mission on Agriculture Extension under Krishonnati Yojana -			
	बीमा योजना (₹500 करोड़) और 2. कृषि कल्याण कोष को अंतरण (₹500 करोड़)। (ख) निम्न लिखित के लिए (i) कृषि कल्याण	(b)	Central Sector (iv) Transfer to Krishi Kalyan Kosh (₹500 crore) (v) expenditure under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (₹500 crore). For (i) transfer to Krishi Kalyan Kosh	500.00	-	500.00

(₹200 crore) and (ii) construction of

rural godowns under Integrated Scheme

on Agricultural Marketing towards Grants in-aid General (₹200 crore).

200.00

200.00

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gran	t No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी निम्न लिखित के लिए (i) डेयरी उद्यमी विकास स्कीम के अंतर्गत किसानों द्वारा सब्सिडी दावे की वचनबद्ध देनदारियां (₹100 करोड़) (ii) राष्ट्रीय डेयरी आयोजना पर व्यय (₹36 करोड़)।	D Fo su Ex	epartment of Animal Husbandry, airying and Fisheries or meeting (i) committed liabilities of absidy claims by farmers under Dairy intrepreneurs Development Scheme (₹100 tore) (ii) expenditure on National Dairy Ian (EAP) (₹36 crore)	100.00	-	100.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		STRY OF COMMUNICATIONS AND NFORMATION TECHNOLOGY			
 13 डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए 14 दूरसंचार विभाग 	13 D Fo	epartment of Posts or providing additional capital infusion India Post Payments Bank	150.00	-	150.00
(क) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड को ₹1000 करोड़ की राशि अंतरित करने के लिए तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को यूएसओएफ से ₹1000 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करना।		epartment of Telecommunications For transferring an amount of ₹1000 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and providing an amount of ₹1000 crore as compensation from USOF to telecom service providers for various telecom services in the rural			
(ख) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर व्यय पूरा करने के लिए।	(b	and remote areas. For meeting expenditure on Optical Fibre Cable (OFC) based network for Defence Services.	1,000.00	_ ;	1,000.00 500.00
15 इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		repartment of Electronics and information Technology	200100		200,00
(क) निम्न लिखित के स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करने हेतु (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (₹30 करोड़) केंद्रीय सरकारी भुगतान पोर्टल हेतु ₹10 करोड़ सहित और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹150 करोड़)।		of in the Fermiology For meeting additional expenditure towards establishment related expenses of (i) National Informatics Centre (₹30 crore) including ₹10 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹150 crore).	180.00	_	180.00
(ख) निम्न लिखित का व्यय करने हेतु (i) नए वीडियो कांफ्रेंसिंग स्टूडियो की स्थापना करना और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मौजूदा स्टूडियो का उन्नयन, एनआईसीएनईटी सेवाएं, जिला केंद्र, साइबर सुरक्षा उपकरण और डेटा सेंटर (₹70 करोड़) केंद्रीय सरकारी भुगतान पोर्टल हेतु ₹5 करोड़ सहित और (ii) नए आईटी हार्डवेयर की अधिप्राप्ति और यूआईडीएआई मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु भुगतान (₹40 करोड़)।	(b	o) For meeting expenditure towards (i) setting up of new video conferencing studios and upgradation of existing studios, NICNET services, District Centres, Cyber security equipment and Data Centres of National Informatics Centre (₹70 crore) including ₹5 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) procurement of new IT Hardware and payment for construction	100.00		180.00
सार्थातम् साराचे स्वास् और सार्वजिक विकास पंजानस	MINI	of UIDAI HQ building (₹40 crore)	110.00	-	110.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		OOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 D	epartment of Consumer Affairs			
(क) दालों के आयात पर सब्सिडी की बकाया राशि के भुगतान के लिए।	(a	 For payment of arrears of subsidy on import of pulses. 	-	80.00	80.00

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) (i) दाल और प्याज जैसी अन्य वस्तुओं की बढ़ी मात्रा में खरीद के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹500 करोड़) और (ii) केंद्रीय आयोजना के तहत प्रावधान अंतरित करना (₹24.77 करोड़)।	(b) For (i) meeting additional requirement towards Price Stabilization Fund for procurement of enhanced quantity of pulses and other commodities like Onion (₹500 crore) and (ii) effecting transfer of provision under Cental Plan (₹24.77 crore).	500.00	-	500.00
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
निम्न लिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अपरिष्कृत चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सेवाओं और विपणन पर प्रोत्साहन स्कीम (₹11.57 करोड़) (ii) नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर का कार्यालय व्यय (₹1.10 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹1.05 करोड़) (iii) केन्द्रीय आयोजना के तहत प्रावधान का अंतरण (₹2500 करोड़) (iv) हिंदुस्तान वैजीटेबल ऑयल कारपोरेशन की उन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (₹27.56 करोड़)।	For meeting additional expenditure of (i) the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" (₹11.57 crore) (ii) National Sugar Institute, Kanpur towards Office Expenses (₹1.10 crore) and Minor Works (₹1.05 crore) (iii) transfer of provision under Central Plan (₹2500 crore) (iv) towards improved Voluntary Retirement Scheme of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹27.56 crore).	-	27.56	27.56
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	Ministry OF CORPORATE AFFAIRS			
(क) व्यावसाय करना सहज बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय पंजीकरण केंद्र की स्थापना (₹4 करोड़) और डिजिटल इंडिया स्कीम (₹5 करोड़) के लिए आईटी पेशेवरों आदि को नियोजित किया। (ख) 1. निम्न लिखित का स्थापना संबंधी व्यय (i) भारतीय शोधन अक्षमता दिवालियापन बोर्ड (₹10 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और एनएफआर (₹5 करोड़) 2. ईडब्ल्यूएस परियोजना के लिए लाइसेंस की अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर आदि की खरीद (₹1.85 करोड़)।	 Ministry of Corporate Affairs (a) Setting up of Central Registration Centre for Promoting 'Ease of Doing Business (₹4 crore) and engagement of IT Professionals etc for Digital India Program (₹5 crore). (b) For 1. establishment related expenditure of (i) Insolvency Bankruptcy Board of India (₹10 crore) and (ii) National Financial Reporting Authority (NFRA) and National Financial Reporting Appellate Authority (NFRAA) (₹5 crore) 2. procurement of licenses and purchase of software/hardware etc. for the EWS project (₹1.85 crore). 	-	9.00 16.85	9.00 16.85
विदेश मंत्रालय 28 विदेश मंत्रालय (i) विशेष आर्थिक पैकेज एमआरपीएल-एसटीसी संविदा हेतु व्यवहार्यता अन्तराल निधि, सिविल सेवा संस्थान आदि के लिए मारीशस को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और द्वीप अवसंरचना और अन्य परियोजनाओं को तैयार करने के लिए सेशेल्ज को सहायता (₹500.00 करोड़)। (ii) चाबाहर पत्तन (₹100.00 करोड़) के	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 28 Ministry of External Affairs For (i) meeting additional requirement for aid to Mauritius for a Special Economic Package, Viability gap funding for MRPL - STC Contract, Civil Services Institute, etc. and to Seychelles for development of Island infrastructure and other projects (₹500 crore) (ii) providing additional funds for			
विकास के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने	development of Chabahar Port (₹100 crore).	-	600.00	600.00

के लिए।

				<i>(क</i>	रोड़ रुपए Rupee.	s in Crore)
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त	मत्रांलय	MI	NISTRY OF FINANCE			
29	आर्थिक कार्य विभाग	29	Department of Economic Affairs			
	(i) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी		For (i) contribution to set up South Asia			
	सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) की स्थापना		Regional Training and Technical			
	में अंशदान (₹60 करोड़)। (ii) विशेष आहरण		Assistance Centre (SARTTAC) (₹60 crore)			
	अधिकारों के प्रशासनार्थ आईएमएफ को देय आकलन		(ii) assessment charges payable to IMF			
	प्रभार (₹0.71 करोड़)।		towards Administration of Special Drawing			
			Rights (₹0.71 crore).	-	60.00	60.00
32	राज्यों को अंतरण	32	Transfers to States			
	(क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत		(a) Additional assistance to States affected			
	ओला, बेमौसम वर्षा, सूखा, बाढ़ आदि जैसी		by Natural Calamities like Hailstorm,			
	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त		Unseasonal rain, etc. under National			
	सहायता प्रदान करना।		Disaster Response Fund (NDRF).	-	2,000.00	2,000.00
	(ख) राज्यों को आवश्यकता के आधार पर विशेष		(b) Additional fund for need based Special			
	सहायता के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।		Assistance to States.	2,000.00	= (2,000.00
	(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए		(c) Loans and advances to State Governments			
	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम।		for Externally Aided Projects.	3,000.00	= ;	3,000.00
34	व्यय विभाग	34	Department of Expenditure			
	सरकारी वित्त प्रबंधन प्रणाली के लिए अतिरिक्त		For meeting additional expenditure for the			
	व्यय पूरा करना।		project Public Finance Mangement System.	50.00	-	50.00
37	राजस्व विभाग	37	Department of Revenue			
	अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट के लिए भुगतान।		Payment against International arbitration			
			award.	-	38.00	38.00
38	प्रत्यक्ष कर	38	Direct Taxes			
	आय प्रकटीकरण स्कीम 2016 और विवाद समाधान		For advertisement and publicity of Income			
	स्कीम 2016 का विज्ञापन और प्रचार।		Disclosure Scheme, 2016 and Disputes			
			Resolution Scheme, 2016.	-	100.00	100.00

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) संचारी रोगों के लिए फलेकसीबल पूल (₹328.35 करोड़), (ii) गैर संचारी रोगों के लिए फलेकसीबल पूल (₹442.78 करोड़), (iii) एनआरएचएम आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभावजनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹454.44), (iv) राज्य दवा विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (180 करोड़). 2. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन-नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण (₹100 करोड़) (ii) नए चिकित्सा कॉलेजों को स्थापित करना (जिला अस्पतालों का उन्नयन) (₹400 करोड़) (iii) राज्यों में पारा चिकित्सा राज्य संस्थाओं की स्थापना और पारा चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की स्थापना (₹50 करोड़)।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

42 Department of Health and Family Welfare

For 1. Grants-in-aid General under the Schemes (i) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹328.35 crore), (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹442.78 crore), (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹454.44 crore) and (iv) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹180 Cr), 2. Grants for creation of Capital Assets under the Scheme:-(i) Human Resources for Health & Medical Education-Upgradation/Strengthening of Nursing Services (ANM/GNM) (₹100 crore). (ii) Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹400 crore)

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	and (iii) Setting up of State Institutions of Para-medical Sciences in States and Setting up of Colleges of Paramedical Education (₹50 Crore).	400.00	-	400.00
ृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
8 पुलिस	48 Police			
आसूचना ब्यूरो के गुप्त सेवा खर्च का व्यय पूरा	For meeting expenditure towards Secret			
करना।	Service Expenses of Intelligence Bureau	-	25.00	25.00
ानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
2 उच्चतर शिक्षा विभाग	52 Department of Higher Education			
(क) अनुदान संबंधी व्यय के लिए (₹330.81	(a) For Grants related expenditure			
करोड़) और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत पेशेवर	(₹330.81 crore) and Professional			
सेवाओं के लिए (₹10 करोड़)।	Services under Technical Eduation			
	(₹10 crore) in North Eastern Areas.	90.00	-	90.00
(ख) अनुदान संबंधी व्यय (₹11 करोड़) पूर्वोत्तर	(b) For Grants related expenditure (₹11			
क्षेत्र हेतु प्रभार के लिए (₹0.90 करोड़)।	crore) and Other Charges (₹0.90 crore)	10.00		10.00
	towards NER.	10.00	_	10.00
ट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
	NATURAL GAS			
6 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	66 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
विजाग, मैंगलोर और पुदुर में सॉवरन स्ट्रेटेजिक कच्चा तेल भंडार के निर्माण के लिए इंडियन	For providing funds to Indian Strategic			
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. को निधियां प्रदान	Petroleum Reserves Limited for Sovereign Strategic Crude Oil Reserve at Vizag,			
करने के लिए।		1,000.00	- :	1000.00
ामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
5 ग्रामीण विकास विभाग	75 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड में अंतरण के लिए	For transfer to National Employment			
रान्ध्राय राजनार नारवा गठ न जारन के लिए	Guarantee Fund.	5,000.00	- :	5000.00
तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
4 अंतरिक्ष विभाग	84 Department of Space			
उन्नत संचार सैटेलाइट (जीएसएटी-11) के लांच	For payment to M/s. Arianespace, France			
के लिए मैसर्स एरियन स्पेस, फ्रांस को (₹300	for launch of Advance Communication			
करोड़) का भुगतान और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष	Satellite (GSAT-11) (₹300 crore) and			
केन्द्र के अतिरिक्त व्यय (₹3.80 करोड़) को पूरा	meeting the additional expenditure (₹3.80			
करने के लिए जीएसएलवी एमके-III के सीई 20	crore) of Vikram Sarabhai Space Centre			
इंजन के लिए कॉर्बन- नोजल एक्जिट कॉन (सी-	towards Machinery and Equipment for			
सी एनइसी) को तैयार करने के लिए मशीनरी	development of Carbon-Carbon Nozzle			
और उपस्कर हेतु।	Exit Cone (C-C NEC) for CE20 Engine of			
	GSLV Mk-III.	300.00	-	300.00
	MINICTOV OF TEXTH EC			
स्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
पस्त्र मंत्रालय ४७ वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles			

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम के लिए सब्सिडी हेतु (₹350 करोड़) और (ii) एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम के लिए (₹1.50 करोड़)। (ख) भारतीय कपास निगम की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	 (i) subsidies towards amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUF) (₹350 crore) and (ii) Scheme for Integrated Textile Parks (₹1.50 crore) (b) For meeting additional requirement for reimbursement of Cotton Corporation 	350.00	-	350.00
	of India.	-	200.00	200.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
94 लक्षद्वीप	94 Lakshadweep			
क्षतिपूर्ति हेतु कोर्ट के आदेश से उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure arising out of Court Order towards land compensation.	17.00	-	17.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय (क) (i) भारत अवसंरचना निधि में अंतरण (₹314 करोड़) का खर्च पूरा करने के लिए। और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹16 करोड़) अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए, स्वच्छ भारत मिशन हेतु आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹4.32 करोड़)।	95 Ministry of Urban Development (a) For meeting expenditure towards (ii) transfer to Bharat Infrastructure Kosh (₹314 crore), (ii) Grants-in-aid General (₹16 crore) for other Urban Development Schemes and Grants for Creation of Capital Assets (₹4.32 crore) for Swachh Bharat Mission.	314.00	-	314.00
(ख) निम्न लिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अतिरिक्त कार्यालय कांप्लैक्स का निर्माण (₹100 करोड़) (ii) संसद सौंध के विस्तार के निर्माण संबंधी निर्माण पर (₹20 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) construction of additional office complex for Supreme Court of India (₹100 crore) (ii) works relating to constuction of extension of Parliament House Annexe (₹20 crore).		120.00	120.00
(ग) (i) फरीदाबाद गिलयारे का काम पूरा करने के लिए डीएमआरसी-उप ऋण (₹184 करोड़); (ii) पीटीए का खर्च न किया गया शेष पूरा करने के लिए डीएमआरसी-पीटीए (₹1316 करोड़); (iii) जेआईसीए निधियन वाले पैकेजों के भुगतान हेतु चैन्नई मेट्रो-पीटीए (₹370 करोड़); (त्ट) एफटीपी-2015-16 के तहत डीम्ड एक्सपोर्ट बेनेफिट के आहरण के कारण चैन्नई मेट्रो उप-ऋण (₹130 करोड़)।	(c) For meeting expenditure for (i) DMRC-Sub-Debt to complete the work of Faridabad Corridor (₹184 crore) (ii) DMRC-PTA to meet the unspent balance of PTA (₹1316 crore) (iii) Chennai Metro-PTA to make the payment of JICA funded packages (₹370 crore) and (iv) Chennai Metro-Sub-Debt due to withdrawal of deemed export benefit			
	under FTP 2015-16 (₹130 crore).	1,686.00	-	1686.00
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
98 युवा कार्य और खेल मंत्रालय	98 Ministry of Youth Affairs and Sports			

98 युवा कार्य और खेल मंत्रालय

राष्ट्रीय खेल परिसंघ को निम्न कार्यक्रमों के लिए सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदानः (i) मिशन 11 मिलियन (30 करोड़ (ii) 17 फीफा वर्ल्डकप फुटबॉल टूर्नामेन्ट (₹95 करोड़) (iii) ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट (₹20

98 Ministry of Youth Affairs and Sports

Grants for creation of Capital Assets under the scheme Assistance to National Sports Federations for the following Programmes: (i) Mission 11 Million (₹30 crore), (ii) Under 17 FIFA World Cup Football Tournament

अनुदानों की पूरक मांगें,	2016-2017 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(vii)
			in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़) (iv) गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन (₹69.85 करोड़)।	(₹95 crore), (iii) BRICS Football Tournament (₹20 crore) and (iv) Conduct of 36th National Games in Goa (₹69.85 crore).	214.85	-	214.85
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	17,671.85	3,276.41 20	,948.26
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 82,064.80 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के लिए प्रस्ताव शामिल हैं जो अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की तदनुरूप बचत के समतुल्य हैं। मदें इस प्रकार हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for G supplementary grants/appropriations for ₹82,00 additional receipts/recoveries or corresponding sa The items are as follows:	64.80 crore	which are ma	tched by
अनुदान के लिए तकनीकी पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants	s		
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
(क) (i) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के लिए सामान्य अनुदान प्रदान करना (₹5 करोड़)। (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.54 करोड़) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹0.96 करोड़) कृषोन्नित आयोजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कृषि यांत्रिकीकरण उपिमशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना (₹0.48 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (iii) कृषोन्नित आयोजना के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 'कार्यालयी व्यय' (₹25.85 करोड़) और 'पेशेवर सेवाएं' (₹0.50 करोड़)। (iv) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत व्यय (₹500.00 करोड़) और 2. कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹500.00 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General towards National Mission on Sustainable Agriculture under Krishonnati Yajna-State Plan (₹5 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹4.54 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹0.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹0.48 crore) under Submission on Agricultural Mechanization under Krishonnati Yojna-Central Sector (iii) Office Expenses (₹25.85 crore) and Profession Services (₹0.50 crore) for implementation of Kisan Cell Centers Programme under Sub-mission on Agriculture Extension under Krishonnati Yojana (iv) Transfer to Krishi Kalyan Kosh (₹500 crore) (v) expenditure under Pradhan Mantri			
(ख) (i) कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹200.00 करोड़) (ii) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत ग्रामीण गोदामों का निर्माण (₹200.00	Fasal Bima Yojana (₹500 crore). (b) For (i) transfer to Krishi Kalya Kosh (₹200 crore) (ii) construction of rural godowns under Integrated Scheme on	500.00	-	500.00

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

करोड़)।

11 वाणिज्य विभाग

कोर्ट के आदेश से उत्पन्न होने वाले भुगतान के लिए डीजीएस एंड डी को मंजूर की गई आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Agricultural Marketing (₹200 crore).

200.00

200.00

2.72

2.72

11 Department of Commerce

For recoupment of Contingency Advance sanctioned to DGS&D for payment arising out of Court Orders.

		(करोड़ रुपए Rupees		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
 (क) कॉपीराइट डिवीजन और बौद्धिक संपदा अधिकार की योजना को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के तहत प्रावधानों की वृद्धि के लिए। (ख) कॉपीराइट संवर्धन और आईपीआरष्ट स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹3.96 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत (₹0.04 करोड़) व्यय पूरा करना। (ग) (i) कॉपीराइट बोर्ड (₹4.30 करोड़) और (ii) कॉपीराइट कार्यालय (₹2.35 करोड़) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 	Promotion (a) For augmentation of provisions under North Eastern Areas towards the scheme Promotion of Copyright Division and IPR. (b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid General (₹3.96 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.04 crore) under the schemes Promotion of Copyright and IPR. (c) For meeting the expenditure under (i) Copyright Board (₹4.30 crore) and (ii) Copyright Office (₹2.35 crore).	0.50 4.00	6.65	0.50 4.00 6.65
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 दूरसंचार विभाग (क) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के लिए ₹1000 करोड़ की राशि अंतरित करने और यूएसओएफ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से मुआवजे के रूप में ₹1000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने के लिए।	14 Department of Telecommunications (a) For transferring an amount of ₹1000 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and providing an amount of ₹1000 crore as compensation from USOF to telecom service providers.	1,000.00	- :	1,000.00
	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम।	 17 Department of Food and Public Distribution (a) Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet the working capital requirements towards procurement of food grains for targeted 			
(ख) शर्करा विकास कोष के लिए अंतर खाता अंतरण के संबंध में राजस्व भाग से पूंजी भाग को व्यय के पुनर्वर्गीकरण के लिए।	Public Distribution System. (b) For reclassification of expenditure from Revenue Section to Capital Section in respect of Inter Account	-	40,000.00 40	
	Transfer to Sugar Development Fund.	-	550.00	550.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय 18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय अंतरखाता अंतरण के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के जरिए दावाकर्ताओं को न चुकाई गई/अदावाकृत राशि का संवितरण (₹30 करोड़)।	Ministry OF CORPORATE AFFAIRS 18 Ministry of Corporate Affairs For disbursement of unpaid/unclaimed amount to the Claimants through the IEPF under the Inter Account Transfer (₹30 crore).	-	30.00	30.00
वित्त मत्रांलय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग भारतीय मुद्रा की निधि धारिता के पुनर्मूल्यांकन के प्रति मूल्य अनुरक्षण (एमओवी) के लिए।	29 Department of Economic Affairs For Maintenance of Value (MoV) obligation due to revaluation of fund holding of Indian Currency.	-	1,672.18	1,672.18

			रुरोड़ रुपए Rupees in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	आयोजना s Plan	आयोजना-भिन्न जोड़ Non Plan Total
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES A	AND	
	PUBLIC ENTERPRISES		
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry		
31.12.2015 की स्थिति के अनुसार तुंगभद्रा	For write off of Government of India N	Non-	
स्टील प्रोडक्ट्स लि. के लिए ₹151.15 करोड़	Plan loan of ₹151.15 crore and acc	rued	
के भारत सरकार के आयोजना-भिन्न ऋण और	interest of ₹315.92 crore outstand	ding	
₹315.92 करोड़ बकाया प्रोद्भूत ब्याज को बट्टे	against Tungbhadra Steel Products	Lts.	
खाते डालना।	(TSPL) as on 31.12.2015.	-	467.07 467.07
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR A EMPLOYMENT	AND	
54 श्रम और रोजगार मंत्रालय	54 Ministry of Labour and Employmen	t	
(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिए निर्माण	(a) For meeting additional expendi	iture	
तथा सीएलसी (सी) और आरएलसी (सी)	towards enforcement of Labour La	aws,	
को प्रशिक्षण देने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा	Construction and providing train	ning	
करना।	to $CLC(C)$ and $RLC(C)$.	1.00	- 1.00
(ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य) स्कीम	(b) For meetng additional expendi		
के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	under the scheme Directorate Gen	eral	
	of Mines Safety (Main).	-	0.10 0.10
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT A HIGHWAYS	AND	
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport	and	
	Highways		
(क) (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹4168	(a) For (i) providing additional fu	ınds	
करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया	under "National Highway Orig		
कराने के लिए। (ii) राजस्व भाग से पूंजी	Works (₹4168 crore) and	•	
भाग में अंतर खाता अंतरण के संबंध में व्यय	reclassification of Inter Acco		
का पुनःवर्गीकरण (केन्द्रीय सड़क निधि	Transfer from Revenue Section	n to	
₹20984.34 करोड़ और स्थायी सेतु शुल्क	Capital Section (Central Road Fo	und-	
निधि (₹7500.00 करोड़)।	₹20,984.34 crore and Permanent Br	ridge	
	Fees Fund- ₹7,500 crore).	31,957.68	- 31,957.68
(ख) मशीनरी और उपकरण के तहत अतिरिक्त	(b) For meeting additional expendit	ture	
व्यय को पूरा करने के लिए।	under Machinery & Equipment.	15.00	- 15.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMEN	ľΤ	
75 ग्रामीण विकास विभाग	75 Department of Rural Development		
(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	(a) For providing fund under the Maha	atma	
योजना (मनरेगा) के तहत निधि उपलब्ध कराने	Gandhi National Rural Employn	ment	
के लिए।	Guarantee Scheme (MGNREGA).	5,000.00	- 5000.00
(ख) ग्रामीण विकास भवन के निर्माण के लिए।	(b) For construction of Grameen Vi	kas	
	Bhawan.	1.00	- 1.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES		
37 वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles		
मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा	For additional expenditure towards	s (i)	
	N . 1 II II D 1		

National Handloom Development

Programme (₹5 crore) and (ii) Trade

विकास कार्यक्रम (₹5 करोड़) और (ii) मुख्य निर्माण

कार्यों के तहत व्यापार सुविधा तथा शिल्प संग्रहालय

					गेड़ रुपए Rupees	
अनुदान संस	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grai	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹93	3.10 करोड़)अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Facilitation Centre and Craft Museum ₹93.10 crore).	98.10	-	98.10
शहरी विव	कास मंत्रालय	MIN	ISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहर्र	री विकास मंत्रालय	95 N	Ainistry of Urban Development			
विभि	न्न मेट्रो परियोजनाओं पर लोक लेखे में भारत	F	For meeting expenditure out of Bharat			
अवस	संरचना कोष में से व्यय पूरा करना।	I	nfrastructure Kosh in Public Account, on			
		V	arious Metro Projects.	314.00	-	314.00
जल संसाध	धन, नदी विकास और	MIN	ISTRY OF WATER RESOURCES,			
गंगा	संरक्षण मंत्रालय		RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
96 जल	संसाधन, नदी विकास, और		Ministry of Water Resources, River			
	संरक्षण मंत्रालय		Development and Ganga Rejuvenation			
(ক)	फरक्का बैराज परियोजना- के तहत मध्यस्थता		a) For payment of arbitration awards			
	के भुगतान के लिए।		under Farakka Barrage Project.	1.80	-	1.80
(ख)	फरक्का बैराज परियोजना के लिए अतिरिक्त	(b) For meeting additional expenditure			
	व्यय को पूरा करने के लिए।		towards Farakka Barrage Project.	-	18.00	18.00
	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के तहत	(c) For meeting expenditure towards under			
	मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करने		the scheme Ground Water Management			
	हेतु।		and Regulation.	25.00	-	25.00
महिला एव	वं बाल विकास मंत्रालय		ISTRY OF WOMEN AND CHILD			
م ح بن اء	ला एवं बाल विकास मंत्रालय		DEVELOPMENT Ainistry of Woman and Child			
७७ माहर	ला एवं बाल विकास मंत्रालय		Ainistry of Women and Child Development			
(ক)	निम्न के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने	(a) For meeting additional expenditure			
	के लिए:- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम		towards (i) Integrated Child Protection			
	(₹73.98 करोड़) (ii) देखरेख तथा संरक्षण		Scheme (₹73.98 Crore), (ii)Scheme for			
	के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण		welfare of Working Children in Need			
	हेतु स्कीम (₹2.68 करोड़) (iii) बेटी बचाओ		of Care and Protection (₹2.68 Crore),			
	बेटी पढ़ाओं (₹40 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाईन (₹3.25 करोड़) (v) वन स्टोप		(iii) Beti Bachao Beti Padhao(₹40			
	केंद्र (₹3 करोड़) (vi) अनुसंधान, प्रकाशन		Crore), (iv) Women Helpline (₹3.25 Crore), (v) One Stop Centre (₹3 Crore)			
	और मॉनीटरिंग (₹0.01 करोड़); (vii) निर्भया		and (vi) Research, Publication and			
	निधि से वित्त पोषित अन्य स्कीमों के लिए		Monitoring (₹0.01 Crore) (vii) Grants-			
	सामान्य सहायता अनुदान (₹180 करोड़)।		in-aid General for Other Schemes funded			
	3 (()		from Nirbhaya Fund (₹180 Crore).	180.00	-	180.00
(ख)	निम्न के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता	(b) For meeting additional expenditure			
	पूरी करने के लिए (i) एकीकृत बाल संरक्षण		towards (i) Integrated Child Protection			
	स्कीम (₹39.70 करोड़) (ii) देखरेख तथा		Scheme (₹39.70 Crore) (ii)Scheme for			
	संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के		welfare of Working Children in Need			
	कल्याण हेतु स्कीम (₹0.30 करोड़) (iii)		of Care and Protection (₹0.30 Crore),			
	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹10.00 करोड़)		(iii) Beti Bachao Beti Padhao(₹10			
	(iv) महिला हेल्पलाईन (₹2.50 करोड़) (v)		Crore), (iv) Women Helpline (₹2.50			
			Crore), (v) One Stop Centre (₹7.50			
	एकोकृत पोषण शिक्षा (₹4 करोड़ रु) (vii)		Crore) and (vi) Integrated Education in			
	स्कीम (₹39.70 करोड़) (ii) देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹0.30 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹10.00 करोड़)		Scheme (₹39.70 Crore) (ii)Scheme for welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹0.30 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao(₹10 Crore), (iv) Women Helpline (₹2.50 Crore), (v) One Stop Centre (₹7.50			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
निर्भया निधि से वित्त पोषित की जा रही अन्य स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़)।	Nutrition (₹4 Crore) (vii) Grants-in-aid General for Other Schemes funded from Nirbhaya Fund (₹20 Crore).	20.00	-	20.00
कुल तकनीकी	Total Technical	39,318.08	42,746.72 82	2,064.80
लाख रुपये का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है जिनके	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also items listed below, the expenditure indicate reappropriation of savings within the Revenue of the relevant grant.	ed against v	which will be	met by
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (क) चावल विकास निदेशालय, पटना के लघु निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) कृषोन्नति योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹37.95 करोड़)और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹4.30 करोड़)। 2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए। 	 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (a) For meeting additional expenditure on minor works of Directorate of Rice Development, Patna. (b) For providing additional Grants-in-aid General (₹37.95 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹4.30 crore) for Tribal Area Sub Plan under Organic Value Chain Development for NE Region under Krishonnati Yojana. Department of Agricultural Research and Education For providing Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under scheme Agricultural Education Institutes. 	42.25	2.10	0.20 42.25
 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (क) सामान्य घटक के लिए अंतरदेशीय मार्त्स्यिकी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹20.60 करोड़) और एससीएसपी (₹2.88 करोड़)। (ख) अंतरदेशीय मात्स्यिकी स्कीम के लिए पूर्वोत्तर 	 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (a) For meeting additional expenditure under the scheme of Inland Fisheries towards General Component (₹20.60 crore) and SCSP (₹2.88 crore). (b) For augmentation of provision under 	23.48	-	23.48
क्षेत्र के अंतर्गत प्रावधान बढ़ाने हेतु। (ग) पशुपालन संस्थान को निर्माण कार्य सहायता की दिशा में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के	North Eastern Areas towards the scheme of Inland Fisheries. (c) For meeting the additional expenditure towards Works Assistance to Animal	16.24	-	16.24

			(करोड़ रुपए Rupees		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)				
5 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को अनुदान स्कीम के	Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) For providing Grants-in-aid General under				
अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	the scheme Grants to Central Council of Homoeopathy.	3.77	-	3.77	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS				
6 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (क) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशन एंड टैक्नोलॉजी को सामान्य सहायता					
अनुदान। (ख) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स लिमिटेड	(IPFT).	1.57	-	1.57	
को ऋण। 7	Ltd. (HOCL). 7 Department of Fertilisers	-	24.61	24.61	
सिटी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) के लिए व्यय पूरा करने हेतु	• •	-	14.99	14.99	
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION				
 नागर विमानन मंत्रालय राज्यों को सहायता अनुदान से केन्द्रीय आयोजन में प्रावधान अंतरित करने के लिए। 	9 Ministry of Civil Aviation For transfer of provision from Grant-in-aid to States to Central Sector.	-	0.01	0.01	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION				
16 उपभोक्ता मामले विभाग (क) केन्द्रीय आयोजना के तहत प्रावधान के अंतरण के लिए। (ख) केन्द्रीय आयोजना को प्रावधान के अंतरण के	Sector.	-	7.20	7.20	
लिए। 17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	Plan. 17 Department of Food and Public	11.25	-	11.25	
विज्ञापन और प्रचार की दिशा में व्यय को पूरा करने के लिए।	Distribution For meeting expenditure towards Advertisement and Publicity	-	0.14	0.14	
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE				
19 [ँ] संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture				
(क) कला और संस्कृति के तहत विभिन्न संस्थाने और अन्य कार्यक्रमों को अनुदान संबंधी व्यय के लिए।		109.41	-	109.41	
(ख) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेत्	(b) For providing Grants-in-aid General to				

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(i) पुस्तकालय और अभिलेखागार (₹0.35 करोड़), (ii) पुरातत्व सर्वेक्षण (₹1.00 करोड़) (iii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (₹8.00 करोड़) (iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल (₹0.80 करोड़) 2. सहायता अनुदान वेतन (i) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (₹3.30 करोड़) 3. अंशदान (i) अंतरराष्ट्रीय	(i) Library and Archives (₹0.35 crore) (ii) Archaeology Survey (₹1.00 crore), (ii) Delhi Public Libarary (₹8.00 crore), (ii) Indira Gandhi Rashtriya Mana Sangrahalaya, Bhopal (₹0.80 crore) Grants-in-aid Salaries to (i) Nation Gaussi of Science Mycaus (₹2.20 cross)	iii) iv) av 2. nal		
(१३.३० फराङ्) ३. अरादान (१) अतरसञ्जूह सहयोग (₹०.०५ करोड़)।	Council of Science Museum (₹3.30 cross) 3. Contributions (i) International Cooperation (₹0.05 crore)		13.50	13.50
(ग) अम्ब्रेला स्कीम सांस्कृतिक संस्थाओं के अंतर्गत भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता में मुख्य निर्माण कार्यों के लिए।	(c) For Major Works in Anthropologic Survey of India, Kolkata under the Umbrella Scheme Cultural Institution	he	_	17.00
S				-,,,,,
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय (विविध) रक्षा आयुध निर्माणियों के अनुसंधान (₹8 करोड़)	20 Ministry of Defence (Misc) For meeting additional expenditure	on		
और निर्माण कार्य (₹55 करोड़) संबंधी अतिरिक्त	Research (₹8 crore) and Works (₹55 crore)			
व्यय पूरा करने के लिए।	of Defence Ordnance Factories.	-	63.00	63.00
वित्त मत्रांलय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) 25वां ईएजी प्लेनरी आयोजित करने के लिए	(a) For meeting additional expenditu			
एफएटीएफ सेल के अन्य प्रशासनिक व्यय	under Other Administrative Expens			
के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने केलिए	of FATF cell in order to hold 25 th EA	AG	4.00	4.00
(ख) एफएटीएफ की सदस्यता अंशदान के लिए।	Plenary. (b) For Membership Contribution to FAT	- ΓF	1.20 0.15	1.20 0.15
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMIL	LY		
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	WELFARE 42 Department of Health and Family Welfa	nre		
(क) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के तहत अनुदान	(a) For Grants (₹304.66 crore) as			
संबंधी व्यय के लिए (₹304.66 करोड़) और	expenditure towards procurement			
सेवाओं की खरीद, आपूर्ति, चिकित्सा	Services, Supplies, Medical Journa			
पत्रिकाओं, प्रकाशन, आईईसी गतिविधि,	Publications, IEC activity, award	of		
पुरस्कार और अन्य स्थापना संबंधी आवश्यकत	prizes & other establishment relat	ed		
के लिए (₹213.90 करोड़)।	expenses (₹213.90 crore) under Medic			
() 20 0	and Public Health.	518.56	-	518.56
(ख) 1. रनातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान सहायता (₹20 करोड़), 2. सहायता अनुदान वेतन (i) अखिल	(b) 1. Grants-in-aid General to Pos Graduate Institute of Medic Education and Research, Chandiga	al		
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	(₹20 crore), 2. Grants –in-aid Salari			
्र (₹257 करोड़) और (ii) स्नातकोत्तर चिकित्स	to (i) All India Institute of Medic			
शिक्षा और अनुसंघान संस्थान (₹236 करोड्	Sciences, New Delhi (₹257 crore) a	nd		
रुपये)।	(ii) Post-Graduate Institute of Medic	cal		
	Education and Research (₹236 crore		513.00	513.00
(ग) अनुदान संबंधी व्यय (₹43.29 करोड़) और	(c) Grants related expenditure (₹43.29 cross			
सेवाओं की अधिप्राप्ति आपूर्ति, आईईर्स	and procurement of Services, Supplie			
गतिविधि और अन्य स्थापना संबंधी व्यय	IEC activity & other establishmen			262.20
(₹220 करोड़)।	related expenses (₹220 crore)	263.29	_	263.29

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान।	(d) Grants-in-aid General to National Institute of Health & Family Welfare,			
(ड) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुदान संबंधी व्यय।	New Delhi. (e) Grants related expenditure in North	-	3.00	3.00
(च) 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान - (i) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹21.65 करोड़), (ii) गैर- संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹6.17 करोड़), (iii) एनआरएचएम-आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹1.50 करोड़) और (iv) एनआरएचएमआरसीएच फ्लेक्सीबल पूल जिसमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि। (₹29.80 करोड़)।	Eastern Areas. (f) For 1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i)Flexible Pool for Communicable Diseases (₹21.65 crore) (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹6.17 crore) and (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹1.50 crore) and (iv) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders	244.65		244.65
(छ) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) सीएचएस के अंतर्गत दवाखाना/अस्पताल की स्थापना (₹30 करोड़) (ii) केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान राची (₹18.82 करोड़) (iii) केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (₹250 करोड़) (iv) सफदरजंग अस्पातल नई दिल्ली (₹415 करोड़) (iv) अखिल भारतीय शरीरिक चिकित्सा और पुर्नवास संस्थान मुम्बई (₹1.50 करोड़) (vi) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹2 करोड़) (vii) मुख्य निर्माण कार्य के लिए जीएमएसडी में कोल्ड चैन सुविधाएं (₹7 करोड़) (viii) पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹3.75 करोड़) (ix) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम - मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए (₹17.48 करोड़) (x) केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली (₹1 करोड़)।	Control Programme etc. (₹29.80 crore) (g) For meeting additional requirement towards 1. Setting up of Dispensaries/ Hospital under CGHS (₹30 crore), 2. Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹18.82 crore), 3. Central Drugs Standards Control Organization (₹250 crore), 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹415 crore), 5. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹1.50 crore), 6. National Aids & STD Control Programme (₹₹2 crore), 7. Cold Chain Facilities in GMSDs-for Major Works (₹7 crore), 8. Port Health Authority (₹3.75 Cr.), 9. National Tobacco Control Programme- for procurement of Machinery & Equipment (₹17.48 crore), 10. Central Health Education	59.12		59.12
(ज) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई योजना के तहत व्यय पूरा करने	Bureau, New Delhi (₹1 crore). (h) For meeting expenditure under the Scheme:- Family Welfare Training and	746.55		746.55
के लिए।	Research Centre, Mumbai (FWRTRC).	17.62	-	17.62
गृह मंत्रालय 48 पुलिस	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 48 Police			
महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए अन्वेषण इकाइयों की स्थापना हेतु मानव-व्यापार रोधी संबंधी के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure for anti-trafficking towards setting up investigative units for Crime against women.	3.00	-	3.00

				ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No	o. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		RY OF HOUSING AND URBAN ERTY ALLEVIATION			
50 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	50 Minis	stry of Housing and Urban Poverty			
नेशनल बिल्डिंग संगठन की आवास योजना का व्यय पूरा करने के लिए।	For m	neeting expenditure towards Housing ne of National Building Organization.	5.00	-	5.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		RY OF HUMAN RESOURCE			
51 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		ELOPMENT rtment of School Education and acy			
(क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत व्यावसायिक सेवा (₹5 करोड़) और सामान्य सहायता	(a) F	For Professional Services (₹5 crore) and Grants-in-aid General (₹12.67 crore)			
अनुदान (₹12.67 करोड़)। (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुदान संबंधी व्यय के	(b) F	nder the scheme Sarva Shiksha Abhiyan. For Grants related expenditure on	17.67	-	17.67
लिए। (ग) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹195.87 करोड़) और (ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के	(c) F	arious schemes in North Eastern Areas. For Grants-in-aid General under the schemes (i) Sarva Shiksha Abhiyan ₹195.87 crore) and (ii) Strengthening of	2,031.97	-	2031.97
सुदृढ़ीकरण (₹0.39 करोड़) के लिए। (घ) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹2.76 करोड़) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (₹3.69 करोड़) 2.सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹15.91 करोड़)।	(d) F s (i T c	Teacher Training Institutions (₹0.39 crore). For 1. Grants-in-aid General under the cheme (i) Sarva Shikha Abhiyan ₹2.76 crore) and Strengthening of Teacher Training Institutions (₹3.69 rore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sarva Shiksha	196.26	-	196.26
क गमाण के लिए अनुदान (र 15.91 कराड़)।		Abhiyan (₹15.91 crore).	22.36	-	22.36
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		RY OF HUMAN RESOURCE ELOPMENT			
52 उच्चतर शिक्षा विभाग (क) सामान्य शिक्षा के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय (11 करोड़) और व्यावसायिक सेवा और अन्य प्रभार (₹9.50 करोड़)।	(a) C	rtment of Higher Education Grants related expenditure (₹11 crore), Professional Services and Other Charges (₹9.50 crore) under General Education.	20.50	_	20.50
(ख) 1. शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (3.86 करोड़) 2. अंशदान के लिए (i) यूनेस्को (₹3 करोड़) और (ii) कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (₹2 करोड़) के लिए।	In 2 c	For 1. Grants-in-aid General to Shastri ndo-Canadian Institute (₹3.86 crore) c. Contribution to (i) UNESCO (₹3 rore) and (ii) Commonwealth of			
थ्रम और रोजगार मंत्रालय		earning (₹2 crore).	-	8.86	8.86
		LOYMENT			
54 श्रम और रोजगार मंत्रालय सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹1.96 करोड़), एससीएसपी (₹0.49 करोड़), केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के लिए	For m Grant (₹0.49	stry of Labour and Employment neeting additional expenditure towards is-in-aid General (₹1.96 crore), SCSP 9 crore) and TSP (₹0.25 crore) under			
'बंधुआ मजदूर का पुनर्वास' स्कीम के तहत टीएसपी (₹0.25 करोड़)।		cheme Rehabilitation of Bonded ur for Central Sector Scheme.			2.70

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
58 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	58 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants - in- aid General for Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim.	360.00	_	360.00
(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब सेंटर (₹75 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन (₹0.01 करोड़) और (iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (₹0.1905 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) National Schedule Caste/ Schedule Tribe Hub Centre (₹75 crore) (ii) Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim (₹0.01 crore) and (iii) Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY) ₹0.1905 crore.	75.20		
	(0.1903 ciore.	73.20	-	75.20
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 60 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय निम्न लिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) मुख्य शीर्ष 3601 (₹17.80 करोड़) और मुख्य शीर्ष 3602 (₹0.15 करोड़) से धन के हस्तांतरण व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्कीम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के तहत और (ii) राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹9.20 करोड़)।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 60 Ministry of Minority Affairs Transfer of Funds to the Central Sector Scheme viz. National Scholarship Portal from MH 3601 (₹17.80 crore) and MH 3602 (₹0.15 crore) and (ii) Grants-in-aid General towards Strengthening of State Waqf Boards (₹9.20 crore).	27.15	-	27.15
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
61 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹6.50 करोड़) और ऑफ ग्रिंड वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹38.50 करोड़)।	61 Ministry of New and Renewable Energy For providing Grant-in-aid General (₹6.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹38.50 crore) under the schme off- grid distributed and Decentralized Renewable Power.	45.00	_	45.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
64 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	GRIEVANCES AND PENSIONS 64 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदान सहायता वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards DOPT's Grants-in-aid Salaries	-	0.04	0.04
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
68 विद्युत मंत्रालय मिणपुर और मिजोरम के राज्य के लिए गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वेतन, भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए।	68 Ministry of Power For meeting salary, allowances and other administrative expenses of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) constituted			
~ ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	for the State of Manipur and Mizoram.	-	1.94	1.94

		211111	211111	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
असंगठित क्षेत्र में चालकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के तहत सामान्य				
सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	Unorganized Sector and Human Resource			
	Development.	5.00	-	5.00
प्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
76 भू-संसाधन विभाग	76 Department of Land Resources			
ভিजिटल इंভिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम				
के तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के अधिकारों के रिकार्डों के कंप्यूटरीकरण, मानचित्रों	-			
के डिजीटलीकरण, सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त	resurvey using modern technology under			
निधियां प्रदान करने हेतु।	Digital India Land Records Modernization			
	Programme (DILRMP)	112.10	-	112.10
वेज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
77 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	77 Department of Science and Technology			
सामाजिक आर्थिक विकास (एस एंड टी उद्यमिता	For meeting additional expenditure towards			
विकास) के लिए एस एंड टी कार्यक्रम के अंतर्गत	•			
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए	_			
अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Development (S&T Entrepreneurship Development)	20.00	_	20.00
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय				
विकास आर उद्यामता मत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
31 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	81 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
(क) सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई	• •			
में उन्नयन के लिए व्यय पूरा करने हेत्।	upgradation of Government ITIs to			
, 6 -3	Model ITIs.	6.06	_	6.06
(ख) सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई	(b) For meeting expenditure towards			
में उन्नयन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	upgradation of Government ITIs to			
	Model ITIs.	1.45	-	1.45
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
32 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	82 Department of Social Justice And			
(क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए निम्न लिखित	Empowerment (a) For providing additional Grants through			
क) प्रत्यक्ष लाम अंतरण के जारए निम्न लिखित के तहत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के				
क तहत आतारक्त अनुदान प्रदान करन क लिए: (i). अनुसूचित जाति के लिए मेट्रिकेत्तर				
छात्रवत्ति (₹2791 करोड़) (i) आर्थिक रूप				
पिछड़े वर्गों के लिए डाक्टर आम्बेडकर मेट्रिकेत्तर				
छात्रवृत्ति स्कीम (₹10 करोड़)।	Backward Classes (₹10 crore).	2,801.00		2801.00

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) औषध दुरूपयोग और द्रव दुरूपयोग की सीमा,	(b) For providing additional Grant for			
पैटर्न और प्रवृत्तियों के आकलन के लिए	National Survey to assess the extent,			
राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त अनुदान	pattern and trends on Drug Abuse and			
प्रदान करना।	Substance Abuse.	3.00	-	3.00
गांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
5 सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय	85 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
क्षमता विकास स्कीम के तहत आर्थिक गणना	For providing additional Grants-in-aid			
(₹5 करोड़) और सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण को	General for Economic Census (₹5 crore) and			
सहायता के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता	Support to Statistical Stregnthening (₹25			
अनुदान प्रदान करने हेतु। (₹25 करोड़)	crore) under the scheme Capacity Development.	30.00	-	30.00
स्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
7 वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles			
ग्रामीण और लघु उद्योगों के तहत योजनाओं पर	For meeting additional expenditure on			
अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	schemes under Village and Small Industries.	41.97	-	41.97
ानजातीय मामले मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
9 जनजातीय मामले मंत्रालय	89 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अतिरिक्त आवश्यकता	(a) For meeting additional requirement		• • • •	• •
पूरा करने के लिए।	under Information Technology.	-	3.00	3.00
(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement		0.50	0.50
का पूरा करन के लिए। (ग) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और	under Information Technology.	-	0.50	0.50
जनशिक्षा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त	(c) For additional requirement under the scheme Tribal Festival, Research,			
आवश्यकता के लिए।	Information and Mass Education.	3.20	-	3.20
नंघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
	LEGISLATURE)			
3 दमन और दीव	93 Daman & Diu			
(क) दीव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए	(a) For meeting the additional expenditure			
दीव महोत्सव दीव-2016 मनाने के लिए	under Advertising and Publicity for			
विज्ञापन और प्रचार के तहत अतिरिक्त व्यय	celebrating the Diu Festival "Diu-2016 for			
को पूरा करने के लिए।	promotion of tourism in Diu District.	18.00	-	18.00
(ख) दीव में शिक्षा केंद्र का विकास और पॉलिटेक्निक	(b) For meeting the additional expenditure			
कॉलेज भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त	for Development of Education Hub at			
व्यय पूरा करने हेतु।	Diu and Construction of Polytechnic			
	College Building at Diu.	10.00	-	10.00
(ग) सरकारी रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण, विशेष	(c) For meeting the additional expenditure			
मरम्मत और दीव में सरकारी आवासीय क्वार्टरों	towards construction of Government			
के पुनरुद्धार के अतिरिक्त व्यय पूरा करने के	Residential Quarters, Special Repairs			
लिए।	& Renovation to Government Residential	4 = 2		
	Quarters at Diu.	1.50	-	1.50
(घ) दीव में फिशिंग मंच के निर्माण और 92 मीटर	(d) For meeting the additional expenditure			
लंबा पाइल जेटी के निर्माण के लिए अतिरिक्त	for construction of Fishing Platform			
व्यय पूरा करने हेतु।	and construction of 92 meters long Pile	7.70		7.7
	Jetty at Diu.	7.78	-	7.78

			र्रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	न जोड़ Total
94 लक्षद्वीप	94 Lakshadweep			
(क) सूचना और जन संपर्क विभाग के विभागी भवन के चल रहे निर्माण कार्य हेतु अतिरिक व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure	f	_	0.20
(ख) उद्योग विभाग के लिए विभागीय भवन वे चल रहे निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्ष व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting the additional expenditure for the ongoing construction of Departmental building for Industries	e f		
	Department.	0.55	-	0.55
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
(क) अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए व्यय पूरा कर हेतु।	Administrative Expenses.	0.49	-	0.49
(ख) निम्न लिखित का व्यय पूरा करने हेतु र सामान्य सहायता अनुदान (i) डीयूएसी द्वा इंडिया हैबिटेट सेंटर को संपत्ति कर व भुगतान हेतु (₹0.47 करोड़) (ii) नगर निग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र वे लिए (₹0.50 करोड़) और (iii) एनआई के लिए (₹0.10 करोड़) 2. नगर निगम वे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हेतु सहायत	Grants-in-aid General (i) for payment of Property Tax to India Habitat Centre by DUAC (₹0.47 crore) (ii) for training Centre for Municipal Employees (₹0.50 crore) and (iii) for NIUA (₹0.10 crore) 2. Grants-in-aid Salaries for (i) training Centre for Municipal Employees (₹3.50 crore) and (iii) for NIUA (₹0.10 crore) 2. Grants-in-aid Salaries for (i) training Centre for Municipal Employees (₹3.50 crore) 3.50 crore in the contract of the contra	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
अनुदान वेतन (₹3.5 करोड़) 3. (iv एनआईयू के लिए सहायता अनुदा वेतन(₹0.40 करोड़)।		-	4.97	4.97
(ग) स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पू करने के लिए।		1,562.56		1562.56
(घ) स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पू करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards	3	_	1562.56 33.12
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)		
97 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	97 Ministry of Women and Child Development	I		
(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹5.30 करोड् और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विका संस्थान (₹0.93 करोड़) का अतिरिक आवश्यकता पूरा करने के लिए।	towards Central Social Welfare Board (CSWB) (₹5.30 Crore) and National Institute of Public Cooperation and Child	1 1 1		(22
(ख) महिलाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण मिश स्कीमके तहत अतिरिक्त आवश्यकता पू करने हेतु।	. ,	1	6.23	6.23 449.45
(ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए :- (एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹23 करोड़	(c) for meeting additional expenditure	e		,,,,,

कुल योग

निवल नकद व्यय

तकनीकी पूरक

सांकेतिक पूरक

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ii) देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹0.01 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹5.50 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाईन (₹1.40 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹2.50 करोड़) (vi) महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत (₹1.27 करोड़)।	Scheme (₹23 Crore) (ii) Welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹0.01 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao (₹5.50 Crore), (iv) Women Helpline (₹1.40 Crore), (v) One Stop Centre (₹2.50 Crore) (vi) Mission for protection & Empowerment of Women (₹1.27 crore).	33.68	-	33.68
कुल सांकेतिक	Total Token	0.48	0.20	0.68
भारत की आकस्मिकता निधि से एक ₹2,72,00,000	5. An advance amounting to ₹2,72,00,000 was Fund of India for meeting immediate requirement after the Supplementary Demands for Grants are	. This will b		

56,990.41 46,023.33 1,03,013.74

3,276.41 20,948.26

42,746.72 82,064.80

0.68

0.20

17,671.85

39,318.08

0.48

GRAND TOTAL

Net Cash Outgo

Technical Supplementary

Token Supplementary

विषय सूची CONTENTS

						(करोड़ रुपए		ı crore)
					राजस्व	0		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
कृषि, सहकारिता एवं		MI	NISTRY OF AGRICULTURE AND					
कृषक कल्याण मंत्रालय			FARMERS WELFARE					
1 कृषि, और कृषक		1.	Department of Agriculture, Cooperatio	n				
कल्याण विभाग	स्वीकृत		and Farmers Welfare	Voted	1400.02		1400.02	1-2
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		2.	Department of Agricultural Research					
विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	0.01		0.01	3
3. पशु पालन और डेयरी कार्य		3.	Department of Animal Husbandry,					
तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत		Dairying and Fisheries	Voted	100.02	0.01	100.03	4
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित	सा,	MI	NISTRY OF AYURVEDA, YOGA AN	D				
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी			NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA					
 मंत्रालय (आयुष)			AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
5. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक		5.	Ministry of Ayurveda, Yoga and					
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा			Naturopathy, Unani, Siddha and					
होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01		0.01	5
रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय		MI	NISTRY OF CHEMICALS					
•			AND FERTILISERS					
6. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	Т	6.	Department of Chemicals and					
^	स्वीकृत		Petrochemicals	Voted	0.01	0.01	0.02	6
7. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	0.01		0.01	7
नागर विमानन मंत्रालय		MI	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01		0.01	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MI	NISTRY OF COMMERCE					
			AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	भारित	11.	Department of Commerce	Charged	2.72		2.72	9
12. औद्योगिक नीति तथा			Department of Industrial Policy	······ 8•···				
संवर्धन विभाग	स्वीकृत		and Promotion	Voted	11.15		11.15	10
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रात		241	NICTON OF COMMUNICATIONS					
सवार आर सूवना प्राधानका नत्रा	तप	IVII	NISTRY OF COMMUNICATIONS	X 7				
13. डाक विभाग	-	12	AND INFORMATION TECHNOLOG			150.00	150.00	11
	स्वीकृत		Department of Posts	Voted	2000.00	150.00	150.00	11
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत		Department of Telecommunications	Voted	2000.00	500.00	2500.00	12
15. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना		15.	Department of Electronics and		400.00	440.00	• • • • • •	
प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत		Information Technology	Voted	180.00	110.00	290.00	13
उपभोक्ता मामलें, खाद्य और		MI	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTIO	N				
16. उपभोक्ता मामलें विभाग	स्वीकृत	16.	Department of Consumer Affairs	Voted	580.02		580.02	14
17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण		17.	Department of Food and Public					
विभाग	स्वीकृत		Distribution	Voted	27.57	40550.00	40577.57	15-16
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			NISTRY OF CORPORATE AFFAIRS	}				
18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	18.	Ministry of Corporate Affairs	Voted	55.85	•••	55.85	17

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand **Total** Revenue Capital **Page** संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE 19. संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत 19. Ministry of Culture Voted 0.02 0.01 0.03 18 रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE 20. रक्षा मंत्रालय (विविध) स्वीकृत 0.01 0.01 20. Ministry of Defence (Misc) Voted 19 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS विदेश मंत्रालय स्वीकृत 28. Ministry of External Affairs Voted 600.00 600.00 20 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग 29 स्वीकृत 29. Department of Economic Affairs Voted 60.02 1672.18 1732.20 21 सरकारों को अंतरण भारित 3000.00 32. Transfers to States Charged 3000.00 22 स्वीकृत Voted 4000.00 4000.00 व्यय विभाग स्वीकृत 34. Department of Expenditure Voted 50.00 50.00 23 34. राजस्व विभाग स्वीकृत 37. Department of Revenue Voted 38.00 38.00 24 38. प्रत्यक्ष कर स्वीकृत 38. Direct Taxes Voted 100.00 100.00 25 रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 42. Department of Health and विभाग स्वीकृत 400.08 Family Welfare Voted 400.06 0.02 26-28 भारी उद्योग और सरकारी उद्यम MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES मंत्रालय AND PUBLIC ENTERPRISES भारी उद्योग विभाग स्वीकृत 44. Department of Heavy Industry 467.07 467.07 Voted 29 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS 48. पुलिस 48. Police 25.01 स्वीकृत Voted 25.01 30 आवास और शहरी गरीबी MINISTRY OF HOUSING AND उन्मूलन मंत्रालय URBAN POVERTY ALLEVIATION 50. आवास और शहरी गरीबी 50. Ministry of Housing and स्वीकृत उन्मूलन मंत्रालय Urban Poverty Alleviation Voted 0.01 0.01 31 मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 51. स्कूली शिक्षा और 51. Department of School Education साक्षरता विभाग स्वीकृत 0.04 0.04 and Literacy Voted 32 उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत 100.02 100.02 52. Department of Higher Education Voted 33-34 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR & **EMPLOYMENT** 54. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय स्वीकृत 0.01 1.10 54. Ministry of Labour & Employment Voted 111 35 सूक्ष्म, लघु और मध्यम MINISTRY OF MICRO, SMALLAND उद्यम मंत्रालय MEDIUM ENTERPRISES 58. सूक्ष्म, लघु और मध्यम 58. Ministry of Micro, Small and उद्यम मंत्रालय स्वीकृत Medium Enterprises Voted 0.02 0.02 36 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 60. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत 60. Ministry of Minority Affairs Voted 0.01 0.01 37

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand **Total** Revenue Capital **Page** नवीन तथा नवीकरणीय MINISTRY OF NEW AND ऊर्जा मंत्रालय RENEWABLE ENERGY 61. नवीन तथा नवीकरणीय 61. Ministry of New and स्वीकृत ऊर्जा मंत्रालय Renewable Energy Voted 0.01 0.01 38 कार्मिक, लोक शिकायत MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC और पेंशन मंत्रालय **GRIEVANCES AND PENSIONS** कार्मिक, लोक शिकायत 64. Ministry of Personnel, Public और पेंशन मंत्रालय स्वीकृत Grievances and Pensions Voted 0.01 0.01 39 पेट्रोलियम और प्राकृतिक MINISTRY OF PETROLEUM AND गैस मंत्रालय NATURAL GAS 66. पेट्रोलियम और प्राकृतिक 66. Ministry of Petroleum and गैस मंत्रालय स्वीकृत Natural Gas 1000.00 1000.00 Voted 40 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 68. विद्युत मंत्रालय स्वीकृत 68. Ministry of Power Voted 0.01 0.01 41 सडक परिवहन एवं राजमार्ग MINISTRY OF ROAD TRANSPORT मंत्रालय AND HIGHWAYS 74. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 74. Ministry of Road Transport and मंत्रालय स्वीकृत Highways Voted 31972.68 31972.69 42-43 0.01 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 75. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत 75. Department of Rural Development 10000.00 1.00 10001.00 Voted 44 भूमि संसाधन विभाग स्वीकृत 76. Department of Land Resources Voted 0.01 0.01 45 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 77. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 77. Department of Science and Technology Voted 0.01 0.01 46 कौशल विकास और MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT उद्यमशीलता मंत्रालय AND ENTREPRENEURSHIP 81. कौशल विकास और 81. Ministry of Skill Development and उद्यमशीलता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship 0.02 0.02 47 Voted सामाजिक न्याय और अधिकारिता MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE मंत्रालय AND EMPOWERMENT 82. सामाजिक न्याय और 82. Department of Social Justice and अधिकारिता विभाग स्वीकृत Empowerment Voted 0.02 0.02 48 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 84. अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत 84. Department of Space 300.00 300.00 49 Voted सांख्यिकी और कार्यक्रम MINISTRY OF STATISTICS AND कार्यान्वयन मंत्रालय PROGRAMME IMPLEMENTATION सांख्यिकी और कार्यक्रम 85. Ministry of Statistics and Programme कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत Implementation Voted 0.01 0.01 50 कपडा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 87. कपड़ा मंत्रालय स्वीकृत 87. Ministry of Textiles Voted 550.01 98.10 648.11 51-52

					(करोड़ रुपए	Rupees ir	ı crore)
				राजस्व	पूंर्ज	गे जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBALAFFAIRS					
89. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	89. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01		0.01	53
	स्वीकृत		Voted	0.02		0.02	
संघ राज्य क्षेत्र		UNION TERRITORIES					
(विधान-मंडल रहित)		(WITHOUT LEGISLATURE)					
93. दमन एवं दीव	स्वीकृत	93. Daman & Diu	Voted	0.01	0.03	0.04	54-55
94. लक्षद्वीप	भारित	94. Lakshadweep	Charged		17.00	17.00	56
	स्वीकृत		Voted	•••	0.02	0.02	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMEN	T				
95. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	95. Ministry of Urban Development	Voted	314.04	2120.00	2434.04	57-58
जल संसाधन, नदी विकास और		MINISTRY OF WATER RESOURCES,					
गंगा संरक्षण मंत्रालय		RIVER DEVELOPMENT AND					
		GANGA REJUVENATION					
96. जल संसाधन, नदी विकास		96. Ministry of Water Resources,					
और गंगा संरक्षण मंत्रालय		River Development and Ganga					
	भारित	Rejuvenation	Charged	1.80		1.80	59
	स्वीकृत		Voted	18.00	25.00	43.00	
महिला और बाल		MINISTRY OF WOMEN AND					
विकास मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
97. महिला और बाल विकास		97. Ministry of Women and Child					
मंत्रालय	स्वीकृत	Development	Voted	200.03		200.03	60-61
युवा मामले और		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
खेल मंत्रालय		AND SPORTS					
98. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	214.85		214.85	62
कुल जोड़		GRAND TOTAL		21496.58	81517.16	103013.74	
	भारित		Charged	4.53	3017.00	3021.53	
	स्वीकृत		Voted	21492.05	78500.16	99992.21	
अनुबंध		ANNEXURE					63-85

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Den	nands for	Grants of Central Government for the	year 2016	5-2017)					
						(करोड़ रु	पये Rupe	es in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	35952.83		30.86		35983.69	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount							
का पूरक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	1400.02				1400.02	
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		37352.85		30.86		37383.71	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	उ ख्य शीर्षों के उ	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for ur	nder the follow	ving Majo	r Heads:			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	1000.00	(कa)	0.01	(खb)	1000.01	
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत:	2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	400.00	(गc)			400.00	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)			0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1400.01		0.01		1400.02	
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अ	नुमानों में नीचे	दर्शाई गयी वस्लि	यों को शामि	ल नहीं किया गया	है जिन्हें व्य	य में से घटाकर	
		समायोजित किया जाता है !							
		Note: The above estimates of additional require	ements do no	t take into acco	unt the rec	overies shown b	pelow, whi	ch are	
		adjusted in reduction of expenditure.							
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
2401 - कृषि कार्य		2401 - Crop Husbandry		(-) 500.00				(-) 500.00	
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम		2435 - Other Agricultural Programmes		(-) 200.00				(-) 200.00	

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय स्थायीवत कृषि मिशन के तहत अतिरिक्त सामान्य अन्दान प्रदान करना (₹ 5 करोड़)।
 - कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कृषि यांत्रिकीकरण (ii) उपमिशन के तहत सामान्य सहायता अन्दान (₹ 4.54 करोड़),अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹ 0.96 करोड़)और जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना (₹ 0.48 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
 - कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन के (iii) अंतर्गत 'कार्यालयी व्यय' (₹ 25.85 करोड़) और 'व्यावसायिक सेवाओं' (₹ 0.50 करोड़)के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना।
 - कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹ 500.00 (iv) करोड)।
 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (v) पूरा करना (₹ 500.00 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- providing additional Grants in aid-General under National Mission on Sustainable Agriculture under Krishonnati Yojna - State Plan (₹ 5 crore).
 - meeting additional requirement for Grants in aid General (ii) (₹ 4.54 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 0.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.48 crore) under Sub-Mission on Agricultural Mechanization under Krishonnanti Yojna-Central Sector.
 - (iii) providing additional funds under 'Office Expenses' (₹ 25.85 crore) and 'Professional Services' (₹ 0.50 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension under Krishonnati Yojana - Central Sector.
 - Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh (iv) (₹ 500.00 crore).
 - (v) additional contribution for meeting requirement under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (₹ 500.00 crore).

(c)

कृषि कल्याण कोष से समतुल्य वसूली को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें ₹500.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ख) चावल विकास निदेशालय, पटना के नए कार्यालय आवास में पुनरूद्धार/लघु निर्माण कार्यों के लिए लघु निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 0.20 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) (i) कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹ 200.00 करोड)।
 - (ii) एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत ग्रामीण गोदामों के निर्माण के संबंध में दावे पूरे कने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान(₹ 200.00 करोड़)।

कृषि कल्याण कोष से समतुल्य वसूली को देखते हु ए (₹200.00 करोड़), इसमें ₹200.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(घ) कृषोन्नित योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 37.95 करोड़)और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹ 4.30 करोड़) प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक प्रक प्रार्थित

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्राथित है। Taking into account the matching recoveries from Krishi Kalyan Kosh (₹ 500.00 crore) and after utilising the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 500.00 crore.

b) providing additional funds for Minor Works (₹ 0.20 crore) for renovation/minor works in the new office accommodation of Directorate of Rice Development, Patna.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh(₹ 200.00 crore).
- (ii) additional Grants-in-aid General for meeting claims in respect of construction of rural godowns under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹ 200.00 crore).

Taking into account the matching recoveries from Krishi Kalyan Kosh (₹ 200.00 crore), this will entail a cash outgo of ₹ 200.00 crore.

d) providing additional Grants in aid-General (₹ 37.95 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.30 crore) under Tribal Area Sub-Plan under Organic Value Chain Development for NE Region under Krishonnati Yojna – Central Sector.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	6620.00		6620.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	f the amount now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)		6620.01		6620.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य र्श	ार्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Gra	int will be accounted	l for under t	he following M	lajor Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Researc	h and Education	Voted:		0.01	0.01
	क्षित है:		The supplementar	y grant is re	equired for:		
कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्तग	। भारतीय कृ	षि अनुसंधान परिषद को पूंजी	providing Grants	for creatio	n of Capital	Assets to Indian	Council of
अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदा	•		Agricultural Res	earch und	er the sche	me Agricultural	Education
			Institutes (₹ 2.10 c	crore)		-	
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	को देखते ह ए	, सांकेतिक पुरक प्रार्थित है।	Taking into accou	,	ings available	in the same sec	ction of the
3			Grant, a token su		•		

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2395.45		36.06	2431.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	100.02		0.01	100.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2495.47		36.07	2531.54
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	r the followi	ng Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत:	2404 -Dairy Development	Voted:	100.00	(कa)		100.00
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत:	2405 -Fisheries	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	100.02			100.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	0.01	(घd)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	100.03			100.03
•							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) डेयरी उद्यमी विकास स्कीम के तहत किसानों द्वारा सब्सिडी दावों की वचनबद्ध देनदारियां पूरी करना (₹ 100.00 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय डेरी योजना (ईएपी) स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 36.00 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें 100.00 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा।
- (ख) अंतर्देशीय मात्स्यिकी, सामान्य घटक (₹ 20.60 करोड़) और एससीएसपी (₹ 2.88 करोड़) स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत प्री करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) अंतर्देशीय मात्स्यिकी स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरा करना
 (₹ 16.24 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित
- (घ) पशुपालन संस्थान स्कीम में मुख्य निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना(₹ 4.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting the committed liabilities of subsidy claims by farmers under Dairy Entrepreneurs Development Scheme (₹ 100.00 crore).
- (ii) meeting additional requirement under the schemeNational Dairy Plan (EAP) (₹ 36.00 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 100.00 crore.

- (b) meeting additional requirement under the scheme of Inland Fisheries, General Component (₹ 20.60 crore) and SCSP (₹ 2.88 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting the additional requirement under the scheme of Inland Fisheries (₹ 16.24 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting the additional requirement under Major Works in the scheme of Assistance to Animal Husbandry Institutes ($\ref{thm2}$ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयूष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		प्ंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1323.20		3.00	1326.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		1323.21		3.00	1326.21
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	r the followi	ng Majo	· Head:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क) केल्द्रीय होम्योपैथी परिषद (₹ 3.77 करोड़)के प्रकाशन नियंत्रक और केल्द्रीय/राज्य पंजीकरण के अंकीकरण के बकाया बिलों के भुगतान के लिए "केल्द्रीय होम्योपैथी परिषद को अनुदान" स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। a) Grants-in-aid-General under the Scheme, "Grants to Central Council of Homoeopathy" for making payment towards outstanding bills of Controller of Publication and digitization of Central/State Register of Central Council of Homoeopathy (₹ 3.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				राजस्व		(करोड़ रुपये I पूंजी	Rupees ii	n Crore) जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	162.01		40.03		202.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
पूरक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		0.02
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		162.02		40.04		202.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the follow	ving Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(कa)			0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों	स्वीकृत:	6857 - Loans for Chemical and	Voted:			0.01	(खb)	0.01
के लिए ऋण		Pharmaceutical Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कीटनाशक निर्माण और प्रौचोगिकी संस्थान (आईपीएफटी) को सामान्य सहायता अनुदान का खर्च पूरा करना (₹ 1.57 करोड़) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित हैं।
- (ख) एचसीओएल द्वारा ली गई सॉवरेन गारंटी से निर्गमित बंधपत्रों पर ब्याज के भुगतान हेतु आकस्मिक देनदारियों का खर्च पूरा करना(₹ 24.61 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for Grants-in-aid-general to Institute of Pesticides Formulation and Technology (IPFT) (₹ 1.57 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure for contingent liabilities for payment of interest on the bonds issued by HOCL against Sovereign Guarantee obtained by it (₹ 24.61 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

` 1 0			,			
					(करोड़ रुपये Rup	. ,
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	74138.33	1.04	74139.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate o	f the amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)	74138.34	1.04	74139.38
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	न दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Gra	ant will be accounted for under	the following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:		0.01	0.01
	भपेक्षित है:		The supplementary grant is	required for:		
बाजार विकास सहायता (एमडीए) क	ो 'सिटी कंपो	स्ट' की बिक्री के लिए व्यय पूरा	meeting expenditure for Ma	arket Developm	ent Assistance (N	1DA) for sale
करना (₹ 14.99 करोड़)।		•	of 'City Compost' (₹ 14.99 o	crore)		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत	ा के मद्देनजर,	सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	Taking into account the s	avings availabl	e in the same s	ection of the
		- •				

Grant, a token supplementary is sought.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

जाता है।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	810.52	1780.20	2590.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	f the amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplemer	ntary)	810.53	1780.20	2590.73
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	Γ:	
		II. This Supplementary Gra	nt will be accounted for under t	he following N	/lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:		0.01	0.01
 यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अप्	क्षित है:		The supplementary grant is re	equired for:		
केन्द्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष :	3601-राज्यों	को सहायता अनुदान के अंतर्गत	transfer of provision kept ur	nder Major H	lead 3601 - Grar	nt in aid to
रखे गए प्रावधान का अंतरण (₹ 0.01 क	रोड़) ।		States under Central Plan (₹	0.01 crore).		
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	को देखते हु	ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	Taking into account the savi	ings available	e in the same sec	ction of the

Grant, a token supplementary is sought.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.06		0.06
	स्वीकृत:		Voted:	4262.74	100.00	4362.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount r	now			
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	2.72		2.72
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4265.52	100.00	4365.52
	भारित:		Charged:	2.78		2.78
	स्वीकृत:		Voted:	4262.74	100.00	4362.74
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will	be accounted for u	ınder the follov	ving Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित:	2057 - Supplies and Disposals	Charged:		2.72	2.72

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मैसर्स पेपर एण्ड बोर्ड कन्वर्टर्स, आगरा को न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान किए जाने से डीजीएस एण्ड डी को मंजूर किए गए आकस्मिक अग्रिम (₹ 2.72 करोड़) की प्रतिपूर्ति हेतु ।

चूंकि निधियों की समान राशि अनुदान के स्वीकृत/राजस्व विभाग से लोटाई जाएगी, इसके लिए किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। The supplementary appropriation is required for:

recoupment of Contingency Advance (₹ 2.72 crore) sanctioned to DGS&D on account of payment to M/s. Paper & Boards Converters, Agra arising out of the Court Order.

As equivalent amount of funds would be surrendered from the Voted/Revenue Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

औदयोगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
			राजस्व		पूंजी		जोड़
			Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
स्वीकृत:		Voted:	3016.94		9.61		3026.55
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:	now required:						
स्वीकृत:		Voted:	11.15				11.15
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		3028.09		9.61		3037.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	पुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for un	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
			आयोजना		आयोजना-		जोड़
			Plan		भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.50	(कa)			0.50
2852 - उद्योग स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	4.00	(खb)	6.65	(गc)	10.65
जोड़ (पूरक) स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	4.50		6.65		11.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्ंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अन्तर्गत ₹ 0.02 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत 0.48 करोड़ रु. सिहत "कॉपीराइट का संवर्धन और आईपीआर" की (एनइआर) आयोजना स्कीमों के अंतर्गत ₹ 0.50 करोड़ के व्यय को पूरा करना।
 - चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मांग सं.51) के अनुदान के अंतर्गत मांगी गइ अतिरिक्त राशि के लिए बचतें उलब्ध हैं, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 3.96 करोइ पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.04 करोइ सिहत आयोजना स्कीम "कॉपीराइट संवर्धन और आईपीआर" के अंतर्गत ₹ 4.00 करोइ का व्यय पूरा करना।
 - चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मांग सं.51) के अनुदान के अंतर्गत मांगी गइ अतिरिक्त राशि के लिए बचतें उलब्ध हैं, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) कॉपीराइट बोर्ड की आयोजना भिन्न स्कीमों के अंतर्गत ₹ 4.30 करोइ के व्यय को पूरा करने के लिए (ii) कॉपीराइट कार्यालय के आयोजना भिन्न स्कीमों के अंतर्गत ₹ 2.35 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मांग सं.51) के अनुदान के अंतर्गत मांगी गइ अतिरिक्त राशि के लिए बचतें उलब्ध हैं, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the expenditure of ₹ 0.50 crore under (NER) Plan schemes "Promotion of Copyright and IPR" including ₹ 0.48 crore under Grants-in-Aid General, ₹ 0.02 crore under Grants for Creation for Capital Assets.
 - As savings are available for the additionality sought under the Grant of Ministry of Human Resource Development (D.No.51), a technical supplementary is sought.
- b) Meeting the expenditure of ₹ 4.00 crore under Plan schemes "Promotion of Copyright and IPR" including ₹ 3.96 crore under Grants-in-Aid General, ₹ 0.04 crore under Grants for Creation for Capital Assets.
 - As savings are available for the additionality sought under the Grant of Ministry of Human Resource Development (D.No.51), a technical supplementary is sought.
- (i) Meeting the expenditure of ₹ 4.30 crore under Non-Plan schemes of Copyright Board. (ii) Meeting the expenditure of ₹ 2.35 crore under Non-Plan scheme of Copyright Office.
 - As savings are available for the additionality sought under the Grant of Ministry of Human Resource Development (D.No.51), a technical supplementary sought.

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.60		0.60
	स्वीकृत:		Voted:	23122.00	406.26	23528.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		150.00	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		23122.60	556.26	23678.86
	भारित:		Charged:	0.60		0.60
	स्वीकृत:		Voted:	23122.00	556.26	23678.26
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account			ajor Head:	
		,		आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी	स्वीकृत:	5201 - Capital Outlay on Postal Services	Voted:	150.00		150.00
परिव्यय						
यह परक अनदान निम्नलिखित हेत	अपेक्षित है:	The supplem	entary grant is	required for:		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ₹ 150 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional capital infusion of ₹ 150 crore in India Post Payments Bank. This will entail cash outgo.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		प्ंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	18355.96		2858.70	21214.66
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	2000.00		500.00	2500.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		20355.96		3358.70	23714.66
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for unde	er the followin	g Major H	leads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:	2000.00	(कa)		2000.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5275 - अन्य संचार सेवाओं	स्वीकृत:	5275 - Capital Outlay on Other	Voted:	500.00	(खb)		500.00
पर पूंजी परिव्यय		Communication Services					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2500.00		•••	2500.00
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनु	मानों में नीचे दर्श	ई गयी वसूलियों व	को शामिल न	नहीं किया गया है जिन्हें व	त्र्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requirem	nents do not ta	ke into account	the recove	eries shown below, w	hich are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग . ् .		REVENUE SECTION					

3275 - Other Communication Services

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

3275 - अन्य संचार सेवाएं

(क) दूरसंचार की आधारभूत संरचना को सृजित और विकसित करने के लिए यूएसओएफ दूर संचार सेवा प्रदाताओं से क्षितिपूर्ति के रूप में 1,000 करोड़ रु. की राशि जारी करने और सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) को 1,000 करोड़ रु. की राशि अन्तरित करने तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए विविध दूर-संचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए जिसमें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के संचालन और रख-रखाव और भारत नेट की जरूरत शामिल है, इन अतिरिक्त वस्लियों के मद्देनजर इस पूरक मांग पर ₹ 1,000 करोड़ के नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

(ख) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबल आधारित नेटवर्क पर होने वाले व्यय (₹ 500 करोड़) को पूरा करने के लिए। इसके लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी। The supplementary grants are required for:

(-) 1000.00

(a) transferring an amount of ₹ 1,000 crore to Universal Service
Obligation Fund (USOF) and releasing an amount of ₹ 1,000
crore as compensation from USOF to telecom service providers
for creation and augmentation of telecom infrastructure and for
providing access to various telecom services to people in the
rural and remote areas including operation and maintenance of
Village Public Telephones and the requirement for Bharat Net.
Taking into account the additional recoveries, this
supplementary will entail cash outgo of ₹ 1,000 crore.

(-) 1000.00

 meeting the expenditure on Optical Fibre Cable (OFC)based network for Defence Services (₹ 500 crore). This will entail cash outgo.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौदयोगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़	रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue	C	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3089.71		239.11	3328.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	180.00		110.00	290.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		3269.71		349.11	3618.82
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for un	der the follo	wing Major H	leads:	
				आयोजना	311	योजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
					No	on-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	180.00	(कa)		180.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ	स्वीकृत:	5475 - Capital Outlay on Other General	Voted:	110.00	(खb)		110.00
पर पूंजी परिव्यय		Economic Services					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	290.00			290.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न की स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (₹ 30 करोड़) केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के लिए ₹ 10 करोड़ सहित और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹ 150 करोड़) उपर्य्क्त में नकद व्यय होगा। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (i) केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के लिए ₹ 5 करोड़ सहित केंद्रीय (ख) सूचना विज्ञान केंद्र के नए विडियो कंफ्रेंसिंग स्टूडियो की स्थापना एवं मौजूदा स्टूडियो एनआईसीएनईटी सेवाएं, जिला केंद्र, साइबर सुरक्षा उपकरण और आंकड़ा केंद्र का उन्नयन (₹ 70 करोड़)। (ii) नए आईटी हार्डवेयर की अधिप्राप्ति लागत और यूआईडीएआई मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए भ्गतान (₹ 40 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- meeting additional expenditure towards establishment related expenses of (i) National Informatics Centre (₹ 30 crore) including ₹ 10 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) Unique Identification Authority of India(UIDAI) (₹ 150 crore).
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting expenditure towards (i) setting up of new video conferencing studios and upgradation of existing studios, NICNET services, District Centres, Cyber security equipment and Data Centres of National Informatics Centre (₹ 70 crore) including ₹ 5 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) cost of procurement of new IT Hardware and payment for construction of UIDAI HQ building (₹ 40 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				•		(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1239.81		17.30		1257.11
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	580.02				580.02
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		1819.83		17.30		1837.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के 3 ³	ांतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follo	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:			80.00	(कa)	80.00
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत:	3456 -Civil Supplies	Voted:	500.00	(खb)	0.01	(गc)	500.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	500.01		80.01		580.02
			मानों में नीचे द	र्शाई गयी वस्लि	यों को शामि	ल नहीं किया गया ह	है जिन्हें व्य	य में से
		Note: The above estimates of additional requirer	nents do not	take into acco	ount the rec	coveries shown h	nelow wh	ich are
		adjusted in reduction of expenditure.					- ,	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
3456 - नागरिक आपूर्ति		3456 - Civil Supplies				(-) 0.01		(-) 0.01

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

अपेक्षित है।

- (क) दालों के आयात पर सब्सिडी के बकाया का भुगतान (₹ 80.00 करोड़)।उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) अधिक मात्रा में दालों की खरीद और प्याज जैसी (₹ 500.00 करोड़) अन्य जिंस की अधिप्राप्ति के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।
 - (ii) केंद्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601 और 3602 के अन्तर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण करना (₹ 24.77 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में ₹500.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ग) मुख्य शीर्ष 3601 और 3602 के अन्तर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण करना
 (₹ 7.20 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक
- (घ) केंद्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601 के अन्तर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण करना (₹ 11.25 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक

The supplementary grants are required for:

- (a) payment of arrears of subsidy on import of pulses (₹ 80.00 crore).
 The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) (i) meeting additional requirement under Price Stabilization Fund for procurement of enhanced quantity of pulses and other commodities like onion (₹ 500.00 crore).
 - (ii) effecting transfer of provision kept under Major Head 3601 and 3602 under Central Plan (₹ 24.77 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 500.00 crore. effecting transfer of provision kept under Major Head 3601 and 3602(₹ 7.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

effecting transfer of provision kept under Major Head 3601 under Central Plan (₹ 11.25 crore).

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	142102.51	10601.60		152704.11
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the					
पूरक अनुमान:		amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	27.57	40550.00		40577.57
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		142130.08	51151.60		193281.68
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों वे	⁵ अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for	under the followin	ıg Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:		0.01	(कa)	0.01
सेवाएं							
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and	Voted:		27.56	(खb)	27.56
भाण्डागारण		Warehousing					
	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		27.57		27.57
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
6408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	6408 - Loans for Food, Storage and	Voted:		40000.00	(गc)	40000.00
भान्डागारण के लिए ऋण		Warehousing					
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए	स्वीकृत:	6860 - Loans for Consumer	Voted:		550.00	(घd)	550.00
ऋण		Industries					
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:		40550.00		40550.00
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	40577.57		40577.57
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए	अनु मानों में नी	चे दर्शाई गयी वस्लियों	को शामिल नहीं किय	ा गया है जि	न्हें व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requi	rements do r	not take into accoun	t the recoveries sh	nown belo	w, which are
• •		adjusted in reduction of expenditure.					
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
6408 - खाद्य भंडारण और		6408 - Loans for Food, Storage and			(-)		(-) 40000.00
भान्डागारण के लिए ऋण		Warehousing			40000.00		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) विज्ञापन और प्रचार संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 0.14 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) (i) "अपरिष्कृत चीनी उत्पादन के विपणन और प्रोत्साहन सेवा" स्कीम के तहत लंबित बकाया दावों का भुगतान(₹ 11.57 करोड़)। The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure in respect of Advertisement and Publicity(₹ 0.14 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) payment of pending claims under the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" (₹ 11.57 crore).

- (ii) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के लिए 'कार्यालयी व्यय' (₹ 1.10 करोड़) और 'लघु निर्माण कार्य' (₹ 1.05 करोड़)के तहत व्यय पूरा करना।
- (iii) खोले जाने वाले नए कार्यात्मक शीर्ष के केन्द्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601 (₹ 2200 करोड़), मुख्य शीर्ष 3602 (₹ 224 करोड़) और मुख्य शीर्ष 2408 (₹ 76 करोड़)से प्रावधान का अँतरण प्रभावी करने हेत्।
- (iv) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के कर्मचारियों के लिए उन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में व्यय पूरा करना (रु.27.56 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹27.56 करोड़ नकद व्यय होगा।

(ग) लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए कार्यशील प्रंजीगत अपेक्षाओं को प्रा करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम देने हेत् (₹ 40,000 करोड़)।

> चूंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही अर्थोपाय अग्रिम की राशि चुकाई जानी है, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) चीनी विकास निधि में अन्तर खाते अंतरण के संबंध में राजस्व भाग से पूंजी भाग के व्यय का प्नवर्गीकरण (₹ 550.00 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ii) meeting expenditure under 'Office Expenses'(₹ 1.10 crore) and 'Minor Works' (₹ 1.05 crore) in respect of National Sugar Institute, Kanpur.
- (iii) effecting transfer of provision from Major Head 3601 (₹ 2200 crore), Major Head 3602 (₹ 224 crore) and Major Head 2408 (₹ 76 crore) under Central Plan to a new functional head to be opened.
- (iv) meeting expenditure in respect of improved Voluntary Retirement Scheme for the employees of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹ 27.56 crores).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of $\ref{27.56}$ crore.

providing Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet the working capital requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System (₹ 40,000 crore).

As the amount of Ways and Means Advance is to be repaid during the current financial year itself, this will not entail any additional cash outgo.

d) reclassification of expenditure from Revenue Section to Capital Section in respect of Inter Account Transfer to Sugar Development Fund (₹ 550.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				राजस्व	<i>(करोड़ रुप</i> पूंजी	ाये Rupee	s in Crore) जोड
		L ODIONAL ODANT		Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:	स्वीकृत:	I. ORIGINAL GRANT:	Voted:	314.43	30.00		344.43
इस समय आवश्यक रकम का	रपानृता.	Supplementary Estimate of the amount now	voteu.	314.43	30.00		344.43
•		required:					
पूरक अनुमान:		required.	Voted:	55.85			55.85
- 	स्वीकृत:	Total (Original phys Complementon)	voted:	370.28	30.00		33.83 400.28
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)	منت خ کمور				400.28
		॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य					
		II. This Supplementary Grant will be account	ea for under	tne following IVI आयोजना	ajor Heads: आयोजना-		जोड
				जायाजना Plan	आयाजना- भिन्न		জাড় Total
				i icili	Non-Plan		lotai
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3 3451 - सचिवालय- आर्थिक	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:		39.00	(कa)	39.00
सेवाएं	(-11 g (11	OTO T COSTOCIA NAT ESCRICTING COLVIDOR	votou.	•••	00.00	(1.4)	00.00
3475 - अन्य सामान्य	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:		16.85	(खb)	16.85
आर्थिक सेवाएं							
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		55.85		55.85
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमा	ानों में नीचे दर्शाई	गयी वस्लियों को श	ामिल नहीं किया गया	है जिन्हें व्य	य में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requireme	nts do not take	into account the	recoveries shown	below. wh	ich are
		adjusted in reduction of expenditure.				,	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
3451 - सचिवालय- आर्थिक		3451 - Secretariat-Economic Services			(-) 30.00		(-) 30.00
सेवाएं							

(a)

(b)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) अंतरखाता अंतरण के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के जरिए दावाकर्ताओं को रु 30 करोड़ न चुकाई गई/ अदावाकृत राशि का संवितरण।
 - (ii) डिजीटल इंडिया कार्यक्रम (₹ 4 करोड़) और आईटी पेशेवरों आदि को कार्य पर लगाने के लिए रु 5 करोड़ के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनिस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पंजीकरण केन्द्र की स्थापना। इसकी मद्देनजर रु 30 करोड़ का व्यय आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते से वस्तियों और ईज ऑफ डूईंग बिजनस और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए रु 9 करोड़ नकद व्यय के बराबर होगा, उपरोक्त व्यय में रु 9 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) इनसोल्वेंसी बैंकरप्ट्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना व्यय (₹ 10 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण (एनएफआरएए) का स्थापना व्यय (₹ 5 करोड)
 - (iii) ईडब्ल्यूएस परियोजनाओं के लिए लाइसेंस अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आदि की खरीद (₹ 1.85 करोड़)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) disbursement of unpaid / unclaimed amount of ₹ 30 crore to the claimants through the IEPF Authority under the 'Inter Account Transfer'.
 - (ii) setting up of Central Registration Centre for promoting 'Ease of Doing Business' (₹ 4 crore) and ₹ 5 crore for engagement of IT professionals etc for Digital India Program

 Taking into account the the expenditure of ₹ 30 crore will matched with the recoveries on account of IEPF Authority and Cash outgo of ₹ 9 crore for Ease of Doing Business and Digital India Program, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 9 crore;
 - (i) establishment expenditure of Insolvency Bankruptcy Board of India (₹ 10 crore)
 - (ii) establishment expenditure of National Financial Reporting Authority (NFRA) and National Financial Reporting Appellate Authority (NFRAA)(₹ 5 crore)
 - (iii) procurement of licenses and purchase of software/hardware etc. for the EWS Project (₹ 1.85 crore)
 The above expenditure will entail a cash outgo;

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		•		.,		(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व Revenue		प्ंजी Capital		जोड़ Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Сарііаі		iolai
	स्वीकृत:		Voted:	2430.00		70.00		2500.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount	t					
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		2430.02		70.01		2500.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शीर्षी के	अंतर्गत दिख	ाया जायेग	Т:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for u	nder the fo	llowing M	lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़ Tetal
				आयाजना Plan		आयाजना- भिन्न Non-Plan		ভাइ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				भिन्न		•
	स्वीकृत:		Voted:		(क a)	भिन्न	(खb)	•
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	Plan	(कа)	भिन्न Non-Plan	(खb)	Total
मुख्य शीर्ष 2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2205 -Art and Culture	Voted:	Plan	(কa)	भिन्न Non-Plan	(खb)	Total
मुख्य शीर्ष 2205 - कला और संस्कृति <i>पूंजी</i> भाग	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2205 -Art and Culture CAPITAL SECTION	Voted:	Plan	(कa) (गc)	भिन्न Non-Plan	(खb)	Total
मुख्य शीर्ष 2205 - कला और संस्कृति <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD 2205 -Art and Culture CAPITAL SECTION MAJOR HEAD		Plan 0.01	, ,	भिन्न Non-Plan 0.01	(खb)	Total 0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान : (i).राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन (₹ 0.10 करोड़), (ii)टैगौर संस्कृति कांप्लैक्स (₹ 0.01 करोड़),(iii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 1.00 करोड़), (iv) जन्मशती और वर्षगांठ महोत्सव (₹ 2.50 करोड़), (v) पुस्तकालय और भण्डारग्रह (₹ 1.15 करोड़), (vi) संग्राहालय (₹ 0.50 करोड़), (vii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्राहालय (₹ 3.48 करोड़), (viii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (₹ 11.04 करोड़)। 2. पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्य अनुदान (i) सांस्कृतिक संस्थान (₹ 2.00 करोड़), (ii)राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन (₹ 19.90 करोड़), (iii) टैगौर संस्कृति कांप्लैक्स (₹ 23.99 करोड़),(iv) जन्मशती और वर्षगांठ महोत्सव (₹ 17.50 करोड़), (v) संग्राहालय (₹ 12.50 करोड़), (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्राहालय (₹ 2.00 करोड़), (vii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (₹ 8.74 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ख) 1. निम्न को सामान्य सहायता अनुदान (i) पुस्तकालय और आर्काइन्स (₹ 0.35 करोइ), (ii)पुरातत्विक सर्वेक्षण (₹ 1.00 करोइ), (iii) दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय (₹ 8.00 करोइ), (v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भीपाल (₹ 0.80 करोइ)। 2. सामान्य वेतन अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (₹ 3.30 करोइ)। 3. अंशदान (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹ 0.05 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) 1. सांस्कृतिक संस्थान अम्ब्रेला स्कीम के तहत एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु (₹ 17.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

a) 1. Grants-in-Aid General for(i) National Gandhi Heritage Site Mission (₹ 0.10 crore), (ii) Tagore Cultural Complex (₹ 0.01 crore), (iii) Gandhi Smriti and Darshan Samiti (₹ 1 crore), (iv)Centenary and Anniversary Celebrations (₹ 2.50 crore), (v) Library and Archives (₹ 1.15 crore), (vi) Museums-(₹ 0.50 crore), (vii) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (₹ 3.48 crore), (Viii) National Council of Science Museum (₹ 11.04 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets-(i) Cultural Institutions (₹ 5 crore), (ii) National Gandhi Heritage Site Mission (₹ 19.90 crore), (iii)Scheme of Tagore Cultural Complex (₹ 23.99 crore), (iv)Centetary & Anniversary Celebration (₹ 17.50 crore), (v) Museums (₹ 12.50 crore), (vi) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (₹ 2 crore), (viii) National Council of Science Museum (₹ 8.74 crore).

- 1. Grants-in-Aid General (i) Library and Archives (₹ 0.35 crore), (ii) Archaeology Survey (₹ 1 crore),(iii) Delhi Public Library (₹ 8 crore), (iv) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal (₹ 0.80 crore) 2. GIA Salaries (i) National Council of Science Museum (₹ 3.30 crore) 3. Contributions (i) International Co-operation (₹ 0.05 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- For Major Works in Anthropological Survey of India, Kolkata under the Umbrella Scheme 'Cultural Institutions' (₹ 17 crore)
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20-21 देखिये)

(See page 20-21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(See page 20-21 of the Deli	iailus ioi v	Chants of Central Covernine	ent for the year 2010-2017	,		
					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	15.24	45.00	60.24
	स्वीकृत:		Voted:	56449.44	12027.95	68477.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of th	ne amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)	56464.69	12072.95	68537.64
	भारित:		Charged:	15.24	45.00	60.24
	स्वीकृत:		Voted:	56449.45	12027.95	68477.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	म्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant	will be accounted for under t	the following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएंआयुध	स्वीकृत:	2079 -Defence Services - Ord	dnance Voted:		0.01	0.01
कारखाने		Factories				
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु ३	अपेक्षित है:		The supplementary grant is	s required for:		
रक्षा आयुध निर्माणियों के अनुसंधान		और निर्माण कार्य पर (₹ 55 करोड)	meeting additional expen	•	earch (₹ 8 crore)	and works
के अतिरिक्त व्यय पूरा करना।		, , , , , ,	(₹ 55 crore) of Defence Or			
			•			

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11679.63	2983.00	14662.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	600.00		600.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		12279.66	2983.00	15262.66
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	12279.63	2983.00	15262.63
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under th	ne following Ma	jor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:		600.00	600.00
और आर्थिक सहयोग		operation with Other Countries				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) विशेष आर्थिक पैकेज एमआरपीएल-एसटीसी संविदा हेतु व्यवहार्यता अन्तराल निधि, सामान्य सेवा संस्थान, निर्वाचन आयोग भवन बाह्य द्वीप अवसंरचना विकास आदि के लिए मारीशस को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और द्वीप अवसंरचना और अन्य परियोजनाएं तैयार करने के लिए सेशेल्ज को सहायता (₹ 500.00 करोड़)।
- (ii) चाबाहर पतन के विकास के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए (₹ 100.00 करोड़)। 3परोक्त व्यय के लिए नकद खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी।

The supplementary grant is required for:

- meeting additional requirement for aid to Mauritius for a Special Economic package, viability gap funding for MRPL
 STC Contract, Civil Services Institute, Electoral Commission building, outer island infrastructure development etc. and aid to Seychelles for development of island infrastructure and other projects (₹ 500.00 crore)
- (ii) for providing additional funds for development of Chabahar Port (₹ 100.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30-31 देखिये)

(See page 30-31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(111)		,		राजस्व	<i>(करोड़ रुपः</i> पूंजी	ये Rupe	es in Crore) जोड
				Revenue	رمان Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	12335.39	8470.70		20806.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	60.02	1672.18		1732.20
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		12395.41	10142.88		22538.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जारे	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for und	er the following	Major Heads:		
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD			TOTT RAIT		
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		0.01	(कa)	0.01
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय	स्वीकृत:	3466 -International Financial Institutions	Voted:		60.00	(खb)	60.00
संस्थाएं							
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:		0.01	(गc)	0.01
सेवाएं							
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		60.02		60.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय	स्वीकृत:	5466 - Investments in International	Voted:		1672.18	(घd)	1672.18
संस्थानों में निवेश		Financial Institutions					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		1732.20		1732.20

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- 25 ईएजी संगोष्ठी के आयोजनार्थ एफएटीएफ प्रकोष्ठ के अन्य प्रशासनिक व्ययों हेत् ₹ 1.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित
 - (i) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र
- (ख) (एसएआरटीटीएसी) की स्थापना में अंशदान (₹ 60 करोड़)। (ii) विशेष आहरण अधिकारों के प्रशासनार्थ आईएमएफ को देय आंकलन प्रभार (₹ 0.71 करोड़)।
 - ₹ 60 करोड़ नकद व्यय होगा और अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.71 करोड़ की बचत उपलब्ध है। अत: ₹60 करोड का नकद व्यय होगा।
- एफएटीएफ में सदस्यता अंशदान हेतु ₹ 0.15 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा (ग)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित
- (ঘ) भारतीय मुद्रा की निधि धारिता के प्नः मूल्यांकन के कारण मूल्य अन्रक्षण (एमओवी) दायित्व (₹ 1672.18 करोड़)। प्रतिभूतियों के निर्गम से ₹ 1672.18 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखने के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- meeting additional expenditure of ₹ 1.20 crore for Other Administrative Expenses of FATF cell in order to hold 25th EAG Plenary.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Contribution to set up South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre (SARTTAC) (₹ 60 crore) (ii) Assessment charges payable to IMF towards Administration of Special Drawing Rights (₹ 0.71 crore)
 - ₹ 60 crore will entail cash outgo and savings of ₹ 0.71 crore are available in the same section of the Grant. Hence, net cash outgo will be ₹ 60 crore.
 - meeting additional expenditure of ₹ 0.15 crore for Membership Contribution to FATF.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Maintenance of Value (MoV) obligation due to revaluation of fund holdings of Indian currency (₹ 1672.18 crore).
 - After taking into account additional receipts of ₹ 1672.18 crore by issue of securities, this will not entail any additional cash outgo;

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रु	पये Rupees in Crore)
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	100646.36	12600.00	113246.36
	स्वीकृत:		Voted:	25250.00		25250.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the				
पूरक अनुमान:		amount now required:				
	भारित:		Charged:		3000.00	3000.00
	स्वीकृत:		Voted:	4000.00		4000.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		129896.36	15600.00	145496.36
	भारित:		Charged:	100646.36	15600.00	116246.36
	स्वीकृत:		Voted:	29250.00	•••	29250.00
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निग	म्नलिखित मुख्	य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant/Appropria	ation will be a	ccounted for u	ınder the following Ma	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			Non-Plan	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:		2000.00	(कa) 2000.00
2245 - श्राकृतिक जानदा राहत	स्पाकृत.	Calamities	voteu.		2000.00	(49a) 2000.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	2000.00	(खb)	2000.00
सहायता	रपानृता.	Governments	voteu.	2000.00	(Gb)	2000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	2000.00	2000.00	4000.00
पूंजी भाग	(417/1.	CAPITAL SECTION	volou.	2000.00	2000.00	4000.00
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
	भारित:	7601 - Loans and Advances to State	Charged:	3000.00	(गc)	3000.00
/601 - राज्य सरकारा का		1001 200110 0110 710101000 10 01010	onar gour	0000.00	(10)	0000.00
7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		Governments				
ऋण और अग्रिम		Governments Total (Supplementary)		5000.00	2000.00	7000.00
		Governments Total (Supplementary)	Charged:	5000.00		
ऋण और अग्रिम	भारित:		Charged:	3000.00		3000.00
ऋण और अग्रिम			Charged: Voted:			
ऋण और अग्रिम जोड़ (प्रक)	<i>भारितः</i> स्वीकृतः	Total (Supplementary)	Voted:	<i>3000.00</i> 2000.00	2000.00	<i>3000.00</i> 4000.00
ऋण और अग्रिम जोड़ (प्रक) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित	<i>भारितः</i> स्वीकृतः हेतु अपेक्षित	Total (Supplementary) r 참: Th	Voted:	3000.00 2000.00 tary grant/app	 2000.00 ropriation are required	3000.00 4000.00
ऋण और अग्रिम जोड़ (प्रक) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित (क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिय	<i>भारितः</i> स्वीकृतः हेतु अपेक्षित । निधि के :	Total (Supplementary)	Voted: e supplemen providing	3000.00 2000.00 tary grant/app	2000.00	3000.00 4000.00 I for:

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- राज्यों को आवश्यकता के आधार पर विशेष सहायता के लिए अतिरिक्त निधि (ख) प्रदान करना (₹ 2000.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिमों के रूप में राज्य (ग) सररकारों को अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 3000.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- 2000.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

providing additional fund for need based special assistance to states (₹ 2000.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

providing additional funds to State Governments as loans and advances for Externally Aided Projects (₹ 3000.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		•	-			
					(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	226.65	•••	226.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	50.00		50.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		276.65		276.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत '	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under th	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	50.00		50.00
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपे	क्षित है:	The supplements	ary grant is rec	uired for:		
लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के लिए ₹ ६	50 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा meeting addition	al expenditur	e of ₹ 50 c	rore for the proj	ject Public

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

Finance Management System (PFMS).

The above expenditure will entail a cash outgo;

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rup	
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:		Charged:	0.02		0.02
स्वीकृत:		Voted:	11868.99	56.00	11924.99
	Supplementary Estimate of the amount r	now			
	required:				
स्वीकृत:		Voted:	38.00		38.00
	Total (Original plus Supplementary)		11907.01	56.00	11963.01
भारित:		Charged:	0.02		0.02
स्वीकृत:		Voted:	11906.99	56.00	11962.99
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित ग	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be acco	- ounted for under t	the following Ma	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD				
स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		38.00	38.00
ापेक्षित है:	The sunn	ementary grant is	required for:		
	स्वीकृतः स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः	भारित: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount required: स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) भारित: स्वीकृत: II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म् III. This Supplementary Grant will be accommodated by the supplementary Grant will be accommodated by t	भारित: Charged: Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: Total (Original plus Supplementary) भारित: Charged: Voted: H. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नतिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत II. This Supplementary Grant will be accounted for under to REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services Voted:	Revenue I. ORIGINAL GRANT: आरितः Charged: 0.02 स्वीकृतः Voted: 11868.99 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Total (Original plus Supplementary) 11907.01 आरितः Charged: 0.02 स्वीकृतः Voted: 11906.99 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Ma आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृतः 2052 -Secretariat-General Services Voted:	राजस्य Revenueपूंजी RevenueI. ORIGINAL GRANT:शारित:Charged:0.02स्वीकृत:Voted:11868.9956.00Supplementary Estimate of the amount now required:स्वीकृत:Voted:38.00Total (Original plus Supplementary)11907.0156.00शारित:Charged:0.02स्वीकृत:Voted:11906.9956.00II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:आयोजना- Planशिन्न Non-PlanREVENUE SECTION MAJOR HEADस्वीकृत:2052 -Secretariat-General ServicesVoted:38.00

मध्यस्थता के संबंध में ₹ 38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

arbitration instituted by Vodafone, Cairn and Vedanta against Government of India.

The above expenditure will entail a cash outgo;

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व	प्ंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	5187.00	202.00	5389.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amount now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	100.00	•••	100.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplemen	tary)		5287.00	202.00	5489.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य श	ोर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Gra	nt will be accounted	d for under tl	ne following M	lajor Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2020 - आय और व्यय पर करों का	स्वीकृत:	2020 -Collection of Taxes of	n Income and	Voted:		100.00	100.00
संग्रहण		Expenditure					
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:		The supplementa	ry grant is re	equired for:		
आय प्रकटीकरण स्कीम (आईडीएस)2	016 और वि	वाद समाधान स्कीम 2016 का	advertisement ar	nd publicity	of Income Dis	sclosure Scheme	(IDS) 2016
विज्ञापन और प्रचार (₹ 100 करोड़)।			and Disputes Res	solution Sch	eme, 2016 (₹	100 crore).	
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expen	diture will er	ntail a cash ou	ıtgo;	
			-			-	

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(coopage : c. a.a. zeaa	0.0. 0.0.	ne er central ceverimient for the year	0.0 _	,		(क्रारोट उप	रो Runa	es in Crore)
				राजस्व		(याराङ्ग राज पूंजी	ч пире	<i>जोड</i>
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				·		
" 5	स्वीकृत:		Voted:	38899.71		1757.86		40657.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	ŭ	Supplementary Estimate of the						
अनुमान:		amount now required:						
J	स्वीकृत:	·	Voted:	400.06		0.02		400.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		39299.77		1757.88		41057.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिर	<u> </u> खाया जाये	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted fo	or under the f	ollowing	Major Heads	:	
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	400.00	(चf)			400.00
		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(छg)			0.01
को सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	400.04		0.02		400.06
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(जh)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजी	स्वीकृत:	4211 - Capital Outlay on Family	Voted:	0.01	(झi)			0.01
परिव्यय		Welfare						
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02				0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	400.06		0.02		400.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (I) गैर संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 13.46 करोइ), (ii) राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 90 करोइ), (iii) अन्य स्वास्थ्य स्कीम (₹ 0.10 करोइ) (iv) आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं (₹ 8.50 करोइ), (v) एंटी माइक्रो प्रतिरोध कार्यक्रम (₹ 0.65 करोइ), और (vi) वायरल हेप्टाईटिस कार्यक्रम (₹ 0.45 करोइ), 2. निम्न स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के स्जनार्थ अनुदान (I) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ (₹ 72 करोइ) (ii) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन- नया मेडीकल कॉलेज स्थापित करना (जिला अस्पताल का उन्नयन) (₹ 20 करोइ) (iii) आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं (₹ 39.50 करोइ) , और (iv) ओवरसाईट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 60 करोइ), 3. सेवाओं की अधिप्राप्ति , आपूर्तियां, मेडीकल पत्रिकाएं, प्रकाशन, आईईसी गतिविधि,

The supplementary grants are required for:

a) 1. Grants-in-Aid General under the Scheme (i) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases(₹ 13.46 crore), (ii) National AIDS Control Programme (₹ 90 crore), (iii) Other Health Scheme (₹ 0.10 crore), (iv) Emergency Medical Services (₹ 8.50 Crore), (v) Anti-micro Resistance Program (₹ 0.65 crore) and (vi) Viral Heptitis Programme (₹ 0.45 Cr.), 2. Grants for creation of capital assets under the Scheme (i) Post-graduate institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 72 Crore) (ii) Human Resources for Health & Medical Education-Establishing New Medical Colleges(Upgrading District Hospitals) (₹ 20 crore) (iii) Emergency Medical Services (₹ 39.50 Crore) and (iv) Institutions of higher learning as per the Oversight Committee

(c)

(f)

पुरस्कार प्रदान करना और स्कीम के तहत स्थापना संबंधी अन्य व्यय (I) संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ ₹ 10 करोड़) (ii) राष्टीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 180 करोड़) (iii) संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 13.90 करोड़) और iv. काया कल्प स्कीम के तहत केंद्रीय सरकारी अस्पतालों/संस्थानों को पुरस्कार (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i)स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ (₹ 20 करोड़), 2.निम्न स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (₹ 257 करोड़) और (ii)स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संसथान (₹ 236 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ग) 1. निम्न को सामान्य सहायता अनुदान (i) एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (₹ 37.50 करोड़), (ii), नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकार नियंत्रण कार्यक्रम सिंहत एनआरएचएम-आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल आदि (₹ 1 करोड़), (iii) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकार नियंत्रण कार्यक्रम सिंहत एनआरएचएम-आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल आदि (₹ 4.79 करोड़) 2. सेवाओं की अधिप्राप्ति, आपूर्तियां,आईईसी गतिविधि और स्थापना से संबंधित अन्य खर्चे के लिए अतिरिक्त व्यय। (l) एफपी सामग्री की अधिप्राप्ति (₹ 110 करोड़)- निरोधकों का सामाजिक विपणन (₹ 34 करोड़) और एफपी सामग्री की नि: शुल्क आपूर्ति (₹ 76 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पिरवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोइ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ङ) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) गैर-संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल (₹ 81.59 करोड़), (ii) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सिहत, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 43.06 करोड़, (iii) राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (₹ 20 करोड़ रु), 2. निम्न स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्जन के लिए अनुदानस्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण: नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन) (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(च) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता - (i) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल (₹ 328.35 करोड़), (ii) गैर- संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल (₹ 442.78 करोड़), (iii) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 454.44

(₹ 60 Crore), 3. Procurement of Services, Supplies, Medical Journals, Publications, IEC activity, award of prizes & other establishment related expenses under the Scheme- (i)Flexible Pool for -Communicable Disease (`₹ 10 crore)(ii) National AIDS Control Programme (₹ 180 crore) (iii) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 13.90 Crore) and (iv) Award of Prizes to Central Govt. Hospitals/Institutions under Kaya-kalp Scheme (₹ 10 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

5) 1. GIA General under the scheme (i)Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 20crore), 2. Grants –in-aid Salaries under the scheme-(i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 257 crore) and (ii) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (₹ 236 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-aid General:- (i) Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 37.50 crore), (ii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 1 crore), (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 4.79 crore) 2. Additional expenditure on Procurement of Services, Supplies, IEC activity & other establishment related expenses. (i) Procurement of FP Material (₹ 110 Crore) - Social Marketing of Contraceptives (₹ 34 crore)& Free Supply of FP Material (₹ 76 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- d) GIA General under the scheme :-National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi(₹ 3 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) 1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 81.59 crore), (ii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 43.06 crore), (iii) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 20 Crore), 2. Grants for creation of capital assets under the Scheme:-Human Resources for Health & Medical Education-Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 100 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 328.35 crore), (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 442.78 crore), (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency

(g)

करोड़) और (iv) राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुद्दीकरण (₹ 180 करोड़), 2. निम्न स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन के लिए अनुदान (i) स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन -नर्सिंग सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) का उन्नयन/सुद्दिकरण (₹ 100 करोड़) (ii)स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन -राज्यों में पराचिकित्सा राज्य संस्थानों की स्थापना और पराचिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन -राज्यों के लिए मानव संसाधन -राज्यों में पराचिकित्सा राज्य संस्थानों की स्थापना और पराचिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन -राज्यों में पराचिकित्सा राज्य संस्थानों की स्थापना और पराचिकित्सा शिक्षा कांलेजों की स्थापना (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (` 400 करोड़) का नकद व्यय होगा।

(छ) निम्न स्कीम के तहत सामान्य (i) संचारी रोग के लिए फ्लेक्सीबल (₹ 21.65 करोड़) (ii) गैर- संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल (₹ 6.17 करोड़) और (iii) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सिहत, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 1.50 करोड़) और (iv) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सिहत, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 29.80 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ज) निम्न स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए 1. सीजीएचएस के तहत औषधालय / अस्पताल की स्थापना (₹ 30 करोड़), 2. केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (₹ 18.82 करोड़), 3. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (₹ 250 करोड़), 4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 415 करोड़), 5. अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹ 1.50 करोड़), 6. राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 2 करोड़), 7. जीएमएसडी में कोल्ड चैन सुविधाएं – प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए (₹ 7 करोड़), 8. पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹ 3.75 करोड़ रु।), 9. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम- मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए - (17.48 करोड़), 10 केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली (₹ 1 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(झ) निम्न स्कीम के तहत आवश्यकता पूरी करना: - परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई (एफडब्ल्यूआरटीसी) (₹ 17.62 करोइ)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

Disorders Control Programme etc. (₹ 454.44 crore) and (iv) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ (180 Crore), 2. Grants for creation of Capital Assets under the Scheme:- (i) Human Resources for Health & Medical Education-Upgradation/Strengthening of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 100 crore). (ii) Human Resources for Health & Medical Education- Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 400 crore) and (iii) Human Resources for Health & Medical Education – Setting up of State Institutions of Para-medical Sciences in States and Setting up of Colleges of Paramedical Education (₹ 50 Crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of (` 400 crore).

1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i)Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 21.65 crore) (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 6.17 crore) and (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 1.50 crore) and (iv) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 29.80 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

for meeting for the additional requirement under the Scheme:- 1.

Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 30 crore), 2.

Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 18.82 crore), 3. Central Drugs Standards Control Organization (₹ 250 crore), 4.

Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 415 crore), 5. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹ 1.50 crore), 6. National Aids & STD Control Programme (* ₹ 2 crore), 7. Cold Chain Facilities in GMSDs-For Major Works (₹ 7 crore), 8. Port Health Authority (₹ 3.75 Cr.), 9. National Tobacco Control Programme- For procurement of Machinery & Equipment (₹ 17.48 crore), 10. Central Health Education Bureau, New Delhi (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting under the requirement under the Scheme:- Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai (FWRTRC) (₹ 17.62 crore)

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	392.87	907.13	1300.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	467.07		467.07
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		859.94	907.13	1767.07
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under th	ne following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		467.07	467.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

तकनीकी पूरक अन्दान मांगा जाता है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 22.12.2015 के निर्णय के अनुसार 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. के लिए ₹ 151.15 करोड़ के भारत सरकार के आयोजना-भिन्न ऋण और ₹ 315.92 करोड़ बकाया प्रोद्भ्त ब्याज को बट्टे खाते डालना। यह केवल बही समायोजना के लिए है और इसमें कोई नकद व्यय नहीं है।

The supplementary grant is required for:

Write off of Government of India Non-plan loan of ₹ 151.15 crore and accrued interest of ₹ 315.92 crore outstanding against Tungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL) as on 31.12.2015, as per CCEA decision dated 22.12.2015. This is only for book adjustment and no cash outgo.

A technical supplementary is sought.

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	7.44		6.66		14.10
	स्वीकृत:		Voted:	61674.97		9035.51		70710.48
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	25.01				25.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		61707.42		9042.17		70749.59
	भारित:		Charged:	7.44		6.66		14.10
	स्वीकृत:		Voted:	61699.98		9035.51		70735.49
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	नुख्य शीर्षों के 3 ³	ांतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for un	der the follow	ving Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:			25.00	(कa)	25.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(खb)			0.01
सहायता		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		25.00		25.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आसूचना ब्यूरो के गुप्त सेवा व्ययों का खर्च पूरा करना (₹ 25 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु अन्वेषण इकाइयों की स्थापना हेतु एंटी ट्रेफिकिंग का खर्च पूरा करना (₹ 3 करोइ)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित
३।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for Secret Service Expenses of Intelligence Bureau (₹ 25 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

b) meeting expenditure for anti-trafficking for setting up investigative units for Crime against women (₹ 3 crore)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

जाता है।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपर	Rupee	s in Crore)
					राजस्व	पूंजी		जोड़
					Revenue	Capita	d	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Vo	oted:	5411.00			5411.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amount now					
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Vo	oted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	tary)		5411.01			5411.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत वि	देखाया जायेगा	ī:		
		II. This Supplementary Gra	nt will be accounted for ur	nder th	e following M	/lajor Head:		
					आयोजना	आयोजन	Π-	जोड़
					Plan	भिन्न		Total
						Non-Pla	an	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Vo	oted:	0.01			0.01
	क्षित है:		The supplementary gran	nt is red	quired for:			
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की 3	भावास स्की	न के लिए व्यय पूरा करना	meeting expenditure	for H	ousing Sch	neme of I	National	Building
(₹ 5 करोड़)।			Organization (₹ 5 crore))				
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों	को देखते हुए	१, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	Taking into account the	e savir	ıgs available	in the sai	ne sect	ion of the

Grant, a token supplementary is sought.

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		प्ंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:	_	I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	63826.65			63826.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04			0.04
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		63826.69			63826.69
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	नुख्य शीर्षीं के	अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for	under the foll	lowing Ma	ajor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)	•••	0.01
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)	•••	0.01
सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04			0.04

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत पेशेवर सेवाएं (₹ 5.00 करोड़) और
 - (ii) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत सहायता अनुदान (₹ 12.67 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।

- (ख) 1. स्कीम के तहत सहायता अनुदानः (i) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 1411.20 करोड़) और (ii) स्कूलों में मध्याहन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 544.00 करोड़) 2. स्कीमों के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदानः (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹ 50.77 करोड़) और (ii) स्कूलों में मध्याहन योजना का राष्ट्रीय वनर्यक्रम (₹ 26.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।
- (ग) स्कीम के तहत सहायता अनुदान (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹ 195.87 करोड़) और (ii) प्रतिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (₹ 0.39 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।
- (घ) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 2.76 करोड़) और (ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (₹ 3.69 करोड़) 2. स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान:- सर्व शिक्षा अभियान (₹ 15.91 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (i) Professional Services under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan(₹ 5.00 crore) and (ii)GIA General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan(₹ 12.67crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- 1. GIA General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 1411.20 crore) and (ii) National Programme of Mid Day Meals in Schools(₹ 544.00 crore); 2. Grant for creation of Capital Asset under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 50.77 crore) and (ii)National Programme of Mid Day Meals in Schools(₹ 26 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant. a token supplementary is sought.
- c) GIA General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 195.87 crore) and (ii) Strengthening of Teacher Training Institutions(₹ 0.39 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - 1. GIA General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 2.76 crore) and (ii) Strengthening of Teacher Training Institutions(₹ 3.69 crore); 2. Grant for creation of Capital Asset under the scheme:- Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 15.91 crore)

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees in Cro				
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	28840.00				28840.00	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	100.02				100.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		28940.02				28940.02	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	 छ्य शीर्षी के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for u	nder the follo	wing Ma	ijor Heads:			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02	
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	90.00	(गc)			90.00	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	10.00	(घd)			10.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	100.01		0.01		100.02	

(c)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) 1. इस स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदानः-(i) उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसियां (एचईएफए) (₹ 5.00 करोइ), (ii) राष्ट्रीय अकादमी निक्षेपागार (₹ 5.00 करोइ) और (iii) विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹ 0.50 करोइ) 2. निम्न स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान-विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹ 0.50 करोइ) 3. स्कीम के अंतर्गत पेशेवर सेवाएं- उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)(₹ 1.50 करोइ) तथा अन्य प्रभार-(एचईएसपीआईएस) (₹ 8.00 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान-शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान (₹ 3.86 करोड़) 2. निम्नलिखित को अंशदान- (i) यूनेस्को (₹ 3.00 करोड़) और (ii) राष्ट्रमंडल शिक्षण (₹ 2.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान(₹ 90 करोड़)
 - (ii) (क)प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु राष्ट्रीय पहल स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.81 करोड़), भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत (ईएपी)(₹ 10 करोड़)।
 (ख) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 200 करोड़)।
 (ग) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत पेशेवर सेवाएं
 (₹ 10 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) 1. GIA General under the Scheme-(i) Higher Education Financing Agencies (HEFA) (₹ 5.00 Crore), (ii) National Academic Depository (₹ 5.00 crore) and (iii) World Class Institutions (₹ 0.50 crore) 2. Grants for creation of capital Assets under the Scheme-World Class Institutions (₹ 0.50 crore) 3. Professional Services under the Scheme- Higher Education Statistics and Public Information System (HESPIS)(₹ 1.50 crore) and Other Charges-(HESPIS) (₹ 8.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) 1. GIA General under the Scheme-Shastri Indo-Canadian Institute (₹ 3.86 crore)2. Contribution to-(i) UNESCO (₹ 3.00 crore) and (ii) Commonwealth of Learning (₹ 2.00 crore)

- (i) Grant for creation of capital Asset under the Scheme-Support to Indian Institutes of Technology(₹ 90 crore)
- (ii) (a)GIA General under the Scheme-National initiative for technology transfer(₹ 0.81 crore) and Technical Education Quality Improvement Project of Government of India(₹ 40 crore) (b) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme-Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (₹ 200 crore) (c) Professional Services under the Scheme-Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)(₹ 10 Crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (₹ 90 करोड़) का नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान(₹ 10 करोड़)
 - (ii) (क) स्कीम –हेफा के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)
 (ख) स्कीम- (एचईएसपीआईएस) के अंतर्गत अन्य प्रभार
 (₹ 0.90 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 10 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of (₹ 90 crore).
- (i) Grants for creation of Capital Asset under the Scheme-Support to Indian Institutes of Technology (₹ 10 Crore)
- (ii) (a) GIA General under the Scheme-(HEFA)(₹ 1 Crore)(b)Other Charges under the Scheme-(HESPIS) (₹ 0.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 10 crore.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये ===	Rupees	
				राजस्व Revenue		प्ंजी Capital		जोड़ Total
/ 		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Сарнаі		iotai
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6432.83		21.15		6453.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		1.10		1.11
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6432.84		22.25		6455.09
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखार	या जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	ınted for un	der the follo	owing Ma	ijor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	(कa)			0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:	1.00	(खb)	0.10	(गc)	1.10
पूंजी परिव्यय		Services						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1.01		0.10		1.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के लिए 'बंधुआ मजदूर का पुनर्वास' स्कीम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। ₹ 2.70 करोड़ की राशि (₹ 1.96 करोड़ सामान्य के लिए, ₹ 0.49 करोड़ एससीएसपी के लिए और ₹ 0.25 करोड़ टीएसपी के लिए) सामान्य सहायता अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष 3601 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर का पुनर्वास स्कीम के लिए उपलब्ध है, और इसी राशि का मुख्य शीर्ष 2230 के तहत पुनर्विनियोजन होगा।

चूं िक, बचतें उपलब्ध है, अतः तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।

(ख) बेहतर समाधान, रोकथाम मध्यस्थता, श्रम कानून का कारगर प्रवर्तन सीएलसी (सी) और आरएलसी (सी) नई दिल्ली के लिए संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु मशीनरी की आवश्यकता पूरी करना, और प्रयोजन शीर्ष मुख्य शीर्ष के तहत (₹ 1.00 करोड़) के तहत सीएलसी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसी अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है।

चूंकि, बचतें उपलब्ध है, अत: तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।

(ग) प्रयोजन शीर्ष मोटर वाहन (₹ 010 करोड़) में खान सुरक्षा महानिदेशालय

(मुख्य) स्कीम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। इसी अनुदान के

राजस्व भाग में ₹ 0.10 करोड़ की बचत उपलब्ध हैं।

चूंकि बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional requirement for the Scheme 'Rehabilitation of Bonded Labour' for Central Sector Scheme. An amount of ₹ 2.70 crore (₹ 1.96 crore for 'General', ₹ 0.49 crore for 'SCSP and ₹ 0.25 crore for 'TSP') under Grants-in-aid General is available under MH 3601 for the Scheme of 'Rehabilitation of Bonded Labour' and the same amount will be re-appropriated under MH 2230

As savings are available, a token supplementary is sought.

b) meeting additional requirement for 'Machinery for better conciliation, preventive mediation, effective enforcement of Labour Laws, construction of combined office complex for the office of CLC (C) and RLC (C), New Delhi and providing training to CLS Officers' under the object head 'Major Works' (₹ 1.00 crore). Savings is available under Revenue Section within the same Grant.

As savings are available, a technical supplementary is sought.

meeting additional requirement for the Scheme 'Directorate
General of Mines Safty (Main)' in the object head 'Motor
Vehicles' (₹ 0.10 crore). Savings of ₹ 0.10 crore is available
under Revenue Section within the same Grant.

As savings are available, a technical supplementary is sought.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

स्वित्त । स्वाप्त स्वित्त । स्वाप्त स्वित्त । स्वाप्त स्वाप्				·		(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृतः Voted: 3454.22 10.55 3464.77 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now required: 1 1 1 0.02 1 0.02 1 0.02 0.					राजस्व		पूंजी	जोड़
स्वीकृतः Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः required: स्वीकृतः Voted: 0.02 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) उंप्युक्त से पूरक अनुदान का हिसाब निम्नालेखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः ।।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नालेखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: ।।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					Revenue		Capital	Total
हस समय आवश्यक रकम का पूरक विमृतः विपालते हिसाब fi the amount now required:	I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
अनुमान: required:		स्वीकृत:		Voted:	3454.22		10.55	3464.77
स्वीकृतः स्वीकृतः Voted: 0.02	इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
जोड़ (मूल और पूरक)	अनुमान:		required:					
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निरखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: 30 10 10 10 10 10 10 10		स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: अयोजन अयोजन जोड़ Plan भिन्त Total Non-Plan Total No	जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		3454.24		10.55	3464.79
भागोजना आयोजना जोड़ मिल्ल Total Plan शिल्ल Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृतः 2552 - North Eastern Areas Voted: 0.01 (क्व) 0.01 2851 - ग्रामीण एवं लघु उयोग स्वीकृतः 2851 - Village and Small Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	गिर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
Plan सिन्त Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष भिन्त अAJOR HEAD 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) 0.01 2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01			II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the followi	ng Major	Heads:	
Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृतः 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) 0.01 2851 - ग्रामीण एवं लघु उयोग स्वीकृतः 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01					आयोजना		आयोजना-	जोड़
राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) 0.01 2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग स्वीकृत: 2851 - Village and Small Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01					Plan		भिन्न	Total
मुख्यशीर्षMAJOR HEAD2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रस्वीकृतः2552 - North Eastern AreasVoted:0.01(कa)0.012851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योगस्वीकृतः2851 - Village and Small IndustriesVoted:0.01(खb)0.01							Non-Plan	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) 0.01 2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01	राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.01 (खb) 0.01	मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(क a)		0.01
जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 0.02 0.02	2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)		0.01
	जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम तैयार करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान "प्रयोजन शीर्ष" के अन्तर्गत ₹ 360 करोड़ की राशि "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन" के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति केन्द्र के लिए नई स्कीम बनाने हेतु (जिसमें टीएसपी के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ और एससीएसपी के अन्तर्गत ₹ 50.00 करोड़ शामिल है) सामान्य सहायता अनुदान/अंशदान/सब्सिडी/ डीटीइ/ओएइ/ओइ प्रयोजन शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 75.00 करोड़ "राष्ट्रीय अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति केंद्र" के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
 - (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एसएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम तैयार करने के लिए प्रयोजन शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के अन्तर्गत ₹ 0.01 करोड़ की राशि "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमइ को प्रोत्साहन" के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
 - (iii) इस स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों को निपटाने के लिए (जिसमें टीएसपी के अंतर्गत ₹ 0.0028 करोड़, एससीएसपी के अंतर्गत ₹ 0.0821 करोड़ शामिल है। ₹ 0.1905 करोड़ की राशि "राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना" के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards "Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim" amounting ₹ 360 crore under the object head "Grants-in-Aid General" for creating a new scheme for promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Meeting additional expenditure towards "National Scheduled Caste/Scheduled Tribe Hub Centre" amounting ₹ 75.00 crore under the object head "Grants in Aid General/Contribution/Subsidy/DTE/OAE/OE"(including ₹ 50.00 crore under SCSP and ₹ 25.00 crore TSP) for creating a new scheme for the National SC/ST Hub.
 - (ii) Meeting additional expenditure towards "Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim" amounting ₹ 0.01 crore under the object head "Grants-in-Aid General" Plan for creating a new scheme for promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim.
 - (iii) Meeting additional expenditure towards "Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY)" amounting ₹ 0.1905 crore (including ₹ 0.0821 crore under SCSP and ₹ 0.0028 crore TSP) to clear the pending claims under the scheme.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

2225 -Welfare of Scheduled Castes,

Scheduled Tribes, Other Backward

Classes and Minorities

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 3687.25 140.00 3827.25 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3687.26 140.00 3827.26 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD**

2225 - अन्सूचित जाति, अन्सूचित स्वीकृत:

जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गी और

I. मूल अनुदान:

अनुमान:

अल्पसंख्यकों का कल्याण

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्न की जरूरत पूरी करने के लिए (i)राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3601 (रु. 17.80 करोड़) और मुख्य शीर्ष 3602 (रु. 0.15 करोड़) से निधियों का अंतरण और (ii)राज्य वक्फ बोर्डों का सुद्दीकरण स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

Voted:

meeting requirement for (i) Transfer of Funds under the Central Schemes National Scholarship Portal from Major Head 3601 (₹ 17.80 Crore) and Major Head 3602 (₹ 0.15 Crore) and (ii)Grants-in-Aid General under the Scheme Strengthening of State Waqf Boards(₹ 9.20Crore).

0.01

(कa)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

0.01

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					es in Crore)	
				राजस्व	प्ंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	9882.79	100.00	9982.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		9882.80	100.00	9982.80
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under tl	he following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ऑफ ग्रिड/संवितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.50 करोड़)और पूंजी सृजनार्थ अनुदान (₹ 38.50 करोड़)जारी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

releasing Grant-in-aid General (₹ 6.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets(₹ 38.50 crore) under the scheme off-grid/distributed and Decentralized Renewable Power.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged	8.47	2.50	10.97
	स्वीकृत:	Voted	1321.90	117.13	1439.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted	0.01		0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)	1330.38	119.63	1450.01
	भारित:	Charged	8.47	2.50	10.97
	स्वीकृत:	Voted	1321.91	117.13	1439.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following M	lajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services Voted		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डीओपीटी सहायता अनुदान वेतनों (₹ 0.04 करोड़) हेतु वित्त वर्ष 2015-16 से लंबित व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting the pending expenditure from FY 2015-16 for DOPT's Grant-in-aid Salaries ($\ref{thm:pending}$ 0.04 crore).

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					ees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	29158.62	2.00	29160.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		1000.00	1000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		29158.62	1002.00	30160.62
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य र्श	ोर्ष के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following N	/lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted:	1000.00		1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विजाग, मैंगलोर और पुदुर में सॉवरन महत्वपूर्ण कच्चा तेल भंडार के सृजन के भाग के रूप में कच्चा तेल भरने के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 1000 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

providing funds to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) for filling up crude oil as part of creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve at Vizag, Mangalore & Pudur (₹ 1000 crore). This will entail a cash outgo.

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees in Cro				
				राजस्व	प्ंजी	जोड़			
				Revenue	Capital	Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	10817.17	3721.82	14538.99			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount	now						
अनुमान:		required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.0			
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		10817.18	3721.82	14539.00			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for under	the following M	lajor Head:				
				आयोजना	आयोजना-	जोड़			
				Plan	भिन्न	Total			
					Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
304(11)		2801 -Power	Voted:		0.01	0.0			

मणिपुर और मिजोरम राज्य के लिए गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वेतन, भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए (₹ 1.94 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

meeting salary, allowances and other administrative expenses of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) constituted for the State of Manipur and Mizoram (₹ 1.94 crore).

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

							ipees in Crore)		
				राजस्व		प्ंजी	जोड़		
				Revenue		Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	भारित:		Charged:	•••		10.00	10.00		
	स्वीकृत:		Voted:	52859.00		54707.00	107566.00		
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount							
का पूरक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		31972.68	31972.69		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		52859.01		86689.68	139548.69		
	भारित:		Charged:			10.00	10.00		
	स्वीकृत:		Voted:	52859.01		86679.68	139538.69		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जा	येगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for unde	er the following	g Major H	eads:			
				आयोजना		आयोजना-	जोड़		
				Plan		भिन्न	Total		
राजस्व भाग		BEVENUE OFOTION				Non-Plan			
राजस्य माग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION							
_	-	MAJOR HEAD	\	0.04	(-)		0.04		
3055 - सड़क परिवहन <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत:	3055 -Road Transport	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01		
भू <i>जा माग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION							
•		MAJOR HEAD		04057.00	(04057.00		
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	31957.68	(खb)	•••	31957.68		
•		Bridges		45.00	()		45.00		
5055 - सड़क परिवहन पर	स्वीकृत:	5055 - Capital Outlay on Road	Voted:	15.00	(गc)	•••	15.00		
पूंजी परिव्यय जोड़ (पूंजी भाग)		Transport		04070.00			04070.00		
	स्वीकृत:	Total (Complements)	Voted:	31972.68			31972.68		
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	31972.69		•••	31972.69		
				· · · · · · · · ·	<u> </u>	~~~~	×->		
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अन् समायोजित किया जाता है!	,माना म नाच दश	इंगया वस्तिया व	भा शामिल न	हा किया गया है ।जन्हें	व्ययं म सं घटाकर		
		Note: The above estimates of additional requirer	nents do not ta	ke into account	the recove	eries shown below. v	vhich are		
		adjusted in reduction of expenditure.				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION							
5054 - सड़क और पुलों पर		5054 - Capital Outlay on Roads and		(-) 3473.34			(-) 3473.34		
पूंजी परिव्यय		Bridges		• ,			` '		
•		· ·							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) असंगठित क्षेत्र में चालकों के पुन:चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास
 (₹ 5.00 करोइ) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ख) (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹ 4168.00 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए।
 - (ii) केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 20984.34 करोड़) और स्थायी सेतु शुल्क निधि (₹ 7500.00 करोड़)में अंतर खाता अंतरण के संबंध में राजस्व

The supplementary grants are required for:

 release of Grants-in-aid General under Refresher Training of Drivers in Unorganized Sector and Human Resource Development (₹ 5.00 crore).

- b) (i) providing additional funds under "National Highway Original Works" (₹ 4168.00 crore).
 - (ii) reclassification of expenditure from Revenue Section to Capital Section in respect of Inter Account Transfer to

भाग से पूंजी भाग में व्यय का पुन:वर्गीकरण।

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों (₹31957.68 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत पड़ी बचत (₹694.66 करोड़) को उपयोग में लाने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) 'मशीनरी एवं उपस्कर' के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 15.00 करोड़) को (c) पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Central Road Fund (₹ 20984.34 crore) and Permanent Bridge Fees Fund (₹ 7500.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant (₹ 31957.68 crore) and after utilising the savings within the same section of the Grant (₹ 694.66 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional requirement of funds under 'Machinery & Equipment' (₹ 15.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Ru	upees in Crore)
				राजस्व		प्ंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	138539.80			138539.80
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	10000.00		1.00	10001.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		148539.80		1.00	148540.80
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षी के अ	तर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for un	der the followir	ıg Major I	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
राजस्व भाग		DEVENUE SECTION				Non-Plan	
राजस्य भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION					
•		MAJOR HEAD		5000.00	<i>(</i>		5000.00
2505 - ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत:	2505 -Rural Employment	Voted:	5000.00	(कa)		5000.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	5000.00	(खb)		5000.00
सहायता	•	Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	10000.00		•••	10000.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.00	(गc)		1.00
पर पूंजी परिव्यय							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	10001.00			10001.00
			नु मानों में नीचे द	र्शाई गयी वसूलियों	को शामिल व	नहीं किया गया है जिन्हें	व्यय में से घटाकर
		समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional require	ments do not	take into accoun	t the recov	eries shown below,	which are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
3601 - राज्य सरकारों को		3601 - Grants-in-aid to State		(-) -5000.00			(-) -5000.00
सहायता		Governments					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में अतिरिक्त निधि का अंतरण (₹ 5000.00 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद देना होगा।

(ख) मनरेगा के तहत निधि प्रदान करना (₹ 5000.00 करोड़)।

क्योंकि यह खर्च राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा होगा, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

(ग) ग्रामीण विकास बैंक के भवन के निर्यात हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा। The supplementary grants are required for:

a) transfer of additional fund to National Employment Guarantee
 Fund (₹ 5000.00 Crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

- (b) providing fund under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) (₹ 5000.00 crore) As the expenditure would be met from National Employment Guarantee Fund, a Technical Supplementary is sought.
 - providing additional funds for building of Grameen Vikas Bhawan (₹ 1.00 Crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

भू-संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupees in Ci		
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1709.36		1709.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1709.37		1709.37
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under tl	ne following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2506 - भू सुधार	स्वीकृत:	2506 -Land Reforms	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अन्तर्गत सर्वेक्षण/पुन: सर्वेक्षण संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अधिकारों के रिकार्डी (आरओआर) के कम्प्यूटरीकरण, मानचित्रों के अंकीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां (₹ 112.10 करोड़) मुहैया कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

providing additional funds for computerization of Records of Rights (RoRs), digitization of maps, survey/resurvey using modern technology under Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)(₹ 112.10 crore)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	प्ंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged	d: 0.02		0.02
	स्वीकृत:	Voted	l: 4481.83	14.47	4496.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनु मान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted	l: 0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	4481.86	14.47	4496.33
	भारित:	Chargeo	d: 0.02		0.02
	स्वीकृत:	Voted	l: 4481.84	14.47	4496.31
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following M	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research Voted	l: 0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामाजिक आर्थिक विकास (एस एण्ड टी उद्यमशीलता विकास) हेतु एस एण्ड टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹ 20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards 'Grants for creation of Capital Assets' (₹ 20 crore) under S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		प्ंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1770.55		33.73	1804.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1770.57		33.73	1804.30
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु		अंतर्गत दिखा	या जायेगा	Γ:	
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for u	nder the foll	owing M	lajor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(कa)		0.01
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(खb)		0.01
सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सरकारी आई टी को मॉडल आई टी में उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य राजकोष के लिए (₹ 6.06 करोड़) की राशि जारी करने की आवश्यकता है।
 - इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) सरकारी आई टी को मॉडल आई टी में उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य राजकोष के लिए (₹ 1.45 करोड़) की राशि जारी करने की आवश्यकता है। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
 - इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) An amount (₹ 6.06 crore) is required for release to State

 Treasury under the Centrally Sponsored Scheme of

 "Up-gradation of Government I.T.Is. to Model I.T.I.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.
 - (b) An amount(₹ 1.45 crore) is required for release to State Treasury under the Centrally Sponsored Scheme of "Up-gradation of Government I.T.Is. to Model I.T.Is.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(ক	रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	6226.95		339.00	6565.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		6226.97		339.00	6565.97
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अ <u>ं</u>	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follo	wina Ma	ior Heads:	
		ii. This oupplementary Grant will be accou	nica for and	aci tile lollo	wing wa	joi i leads.	
		ii. This Supplementary Stant will be accou	inca for an	अायोजना आयोजना	wing wa	आयोजना-	जोड़
		ii. This cupplementary Craft will be accou	nica for an		wing wa	-	जोड़ Total
		ii. This cupplementary Craft will be accou	nica for and	आयोजना	wing wa	आयोजना-	•
राजस्व भाग		REVENUE SECTION	nica for and	आयोजना	wing wa	आयोजना- भिन्न	•
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष			ined for disk	आयोजना	wing ind	आयोजना- भिन्न	•
	स्वीकृत:	REVENUE SECTION	Voted:	आयोजना	(कa)	आयोजना- भिन्न	•
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2225 -Welfare of Scheduled Castes,		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और	स्वीकृत: स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) डीबीटी के जिए निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए : 1. अनुस्चित जाित के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 2791.00 करोड़)2. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डा. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 10.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) औषध दुरुपयोग और द्रव्य दुरुपयोग की हद, पैटर्न और प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण हेतु अतिरिक्त अनुदान जारी करना (₹ 3.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) For releasing additional Grant through Direct Benefit Transfer under: (i) Post Matric Scholarship for SCs.(₹ 2791 crore)
 - (ii) Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes.(₹ 10 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For releasing additional Grant for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse.(₹ 3 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	4155.38	3352.76	7508.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted:		300.00	300.00
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)	4155.98	3653.16	7809.14
	भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	4155.38	3652.76	7808.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	ne following Ma	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space Research Voted:	300.00		300.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जीएसएलवी एमके-III के सीइ 20 इंजन के लिए कॉर्बन-कॉर्बन नोजल एक्जिट कॉन (सी-सी एनइसी) को तैयार करने के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के अतिरिक्त व्यय (₹ 3.80 करोड़) को पूरा करने और उन्नत संचार सेटलाइट (जीएसएटी-11) के शुभारंभ के लिए मैसर्स एरियन स्पेस, फ्रांस को (₹ 300 करोड़) का भुगतान किया जाएगा।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 3.80 करोड़ की बचत के मद्देनजर इसके लिए ₹ 300 करोड़ के निवल नकद व्यय की आवश्यकता पड़ेगी। The supplementary grant is required for:

payment to be made to M/s. Arianespace, France for launch of Advance Communication Satellite (GSAT-11) (₹ 300 crore) and meeting the additional expenditure (₹ 3.80 crore) of Vikram Sarabhai Space Centre towards Machinery and Equipment for development of Carbon-Carbon Nozzle Exit Cone (C-C NEC) for CE20 Engine of GSLV Mk-III.

Taking into account the savings of $\ref{thmodel}$ 3.80 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of $\ref{thmodel}$ 300 crore.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	4724.83	28.00	4752.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	w			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		4724.84	28.00	4752.84
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ड्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for under th	ne following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'क्षमता विकास' स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक गणना (₹ 5 करोड़) और सांख्यिकीय सुद्ददीकरणके लिए सहायता हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए(₹ 25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

providing additional Grants-in-aid General for Economic Census (₹ 5 crore) and Support for Statistical Strengthening (₹ 25 crore) under the Scheme 'Capacity Development'

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपडा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(See page 89 of the Demar	nds for Gra	ants of Central Government for the ye	ar 2016-201	17)				
						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4574.30		20.52		4594.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	550.01		98.10		648.11
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		5124.31		118.62		5242.93
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखार	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for un	der the follo	owing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(क a)			0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	350.00	(खb)	200.00	(गc)	550.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	350.01		200.00		550.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4851 - ग्राम एवं लघ् उद्योगों पर	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and	Voted:	98.10	(घd)			98.10
पूंजी परिव्यय		Small Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	448.11		200.00		648.11
	·							
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु	अपेक्षित है:	The sup	plementary g	rants are re	equired fo	or:		
(क) (i) सामान्य सहायता	। अनुदान के	तहत उत्पाद अधिनियम, 1984 के (a) (i) meetii	ng addition	al requi	ement (₹ 0.6	30 cror	e)towards
	_	कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त जरूरत	impler	mentation o	f handloo	om (Reservati	on) of A	Articles for
पूरी करना (₹ 0.6	•	Ç	Produ	ction Act 19	984 unde	r Grants-in-Ai	d Gene	ral.
•	•							

- वेतन सहायता अन्दान के तहत उत्पाद अधिनियम, 1984 के वस्त् (ii) हथकरघा (अनुरक्षण) के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹5.40 करोड़)।
- अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (iii) (केन्द्र क्षेत्र) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹0.67 करोड़)।
- व्यावसायिक सेवा के तहत सूत आपूर्ति स्कीम /मिल गेट मूल्य (iv) स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹0.30 करोड़)।
- सामान्य सहायता अनुदान के तहत व्यापक हथकरघा क्लस्टर (v) विकास योजना की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹24.90 करोड़)।
- व्यावसायिक सेवा के तहत व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास (vi) योजना की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹0.10 करोड़)।
- (vii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत सूत आपूर्ति स्कीम /मिल गेट मूल्य स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹3.50 करोड़)।

- (ii) meeting additional requirement (₹ 5.40 crore)towards implementation of handloom (Reservation) of Articles for Production Act 1984 under Grants-in-Aid Salaries.
- (iii) meeting additional requirement (₹ 0.67 crore)towards National Handloom Development Programme (Centre Sector) under Other Administrative Expenses.
- meeting additional requirement (₹ 0.30 crore)towards Yarn Supply Scheme/Mill Gate Price Scheme under Professional Services.
- (v) meeting additional requirement (₹ 24.90 crore)towards Comprehensive handloom Cluster Development Scheme under Grants-in-Aid General.
- (vi) meeting additional requirement (₹ 0.10 crore)towards Comprehensive handloom Cluster Development Scheme under Professional Services.
- (vii) meeting additional requirement (₹ 3.50 crore)towards National Handloom Development Programme under Grants-in-Aid General.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2016-2017 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(i)

- (viii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत सूत आपूर्ति स्कीम /मिल गेट मूल्य स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹6.50 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) (i) अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत एकीकृत टेक्सटाईल पार्कों हेतु (b स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹1.50 करोड़)।
 - (ii) संशोधित तकनीक उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफ) हेतु सब्सिडी के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹350 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इससे (₹350 करोड़) नकद व्यय होगा।
- (ग) भारतीय कपास निगम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹200 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

- (घ) (i) मुख्य निर्माण कार्य के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹5.00 करोड़)।
 - (ii) मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफट म्युजियम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹93.10 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में ₹98.10 करोड़ की समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक पार्थित है।

- (viii) meeting additional requirement (₹ 6.50 crore)towards Yarn Supply Scheme/Mill Gate Price Scheme under Grants in Aid General.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional requirement (₹ 1.50 crore)towards

 Scheme for Integrated Textile Parks under Other

 Administrative Expenses.
- (ii) meeting additional requirement (₹ 350 cr.) for subsidies towards Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUF).
 - taking into account the savings available in the same section of the Grants, this will entail net cash outgo of ₹ 350 crore.
- (c) meeting additional requirement (₹ 200 crore) for reimbursement of Cotton Corporation of India.

The above expenditure will entail a cash outgo;

- meeting additional requirement (₹ 5.00 crore) towards
 National Handloom Development Programme (Centre Sector) under Major Works.
- (ii) meeting additional requirement (₹ 93.10 crore)towardsTrade Facilitation Centre and Craft Museum under MajorWorks
 - An equivalent amount of ₹ 98.10 crore would be surrendered from Revenue Section of the Grant, therefore, a Technical Supplementary is sought.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(/ (/ / / / / / / / / / / / / / / / /	,000 0.0.0,
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	3988.36		3988.36
	स्वीकृत:		Voted:	768.14	70.00	838.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the				
अनुमान:		amount now required:				
	भारित:		Charged:	0.01	•••	0.01
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4756.53	70.00	4826.53
	भारित:		Charged:	3988.37	•••	3988.37
	स्वीकृत:		Voted:	768.16	70.00	838.16
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब ⁽	नेम्नलिखित मुख्य	। शीर्षों के अंतर्गत (देखाया जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant/Approp	oriation will be ac	counted for und	ler the following Maj	or Heads:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
					~	

				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	•••		0.01	(कa)	0.01
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:			0.01	(खb)	0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	भारित:	3602 - Grants-in-aid to Union Territory	Charged:	0.01	<i>(गc)</i>			0.01
को सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01		0.02		0.03
	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:			0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय शीर्ष के तहत व्यय (₹ 3.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय के तहत व्यय (₹ 0.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) जनजातीय उत्सव स्कीम, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा (₹ 0.70 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 2.49 करोड़) अनुदान और (iii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा स्कीम के तहत संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है। The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Meeting the additional requirement for expenditure under Head-Information Technology-Office Expenses (₹ 3.00 crores).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(करोड रुपये Rupees in Crore)

- (b) Meeting the additional requirement for expenditure under Information Technology-Office Expenses (₹ 0.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - i) Grants in Aid General for the Scheme Tribal Festival, Research Information and Mass Education (₹ 0.70 crore); (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme Tribal Festival, Research Information and mass Education (₹ 2.49 crore) and (iii) Grants-in-Aid to Union Territory Governments under the scheme Tribal Festival, Research Information and mass Education (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(ē	करोड़ रुपये Ruped	es in Crore)
				राजस्व		प्ंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1387.50		277.80	1665.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.03	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1387.53		277.83	1665.36
	भारित:		Charged:	0.02		•••	0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1387.51		277.83	1665.34
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	मुख्य शीर्षी के अंत	र्गत दिखायाः	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism					
3452 - पर्यटन	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01	(कa)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(खb)		0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		Sports, Art and Culture					
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01	(गc)		0.01
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजी	स्वीकृत:	4405 - Capital Outlay on Fisheries	Voted:	0.01	(घd)		0.01
परिव्यय							
जोड़ (प्ंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.03			0.03
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04			0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) दीव जिले में दीव उत्सव "दीव-2016" मनाने के लिए भुगतान करने हेतु विज्ञापन और प्रचार के तहत ₹ 18.00 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ख) दीव में शिक्षा हब के विकास और दीव में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निर्माण के निष्पादन के लिए 10.00 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।
- (ग) दीव में सरकारी रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण, सरकारी रिहायशी क्वार्टरों की विशेष मरम्मत व पुनरुद्धार के लिए 1.50 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement of ₹ 18.00 crore under Advertising and Publicity to make payment for celebrating the Diu Festival "Diu-2016" for promotion of tourism in Diu District. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting the additional requirement of ₹ 10.00 crore to carry out Works for Development of Education Hub at Diu and Construction of Polytechnic College Building at Diu.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) Meeting the additional requirement of ₹ 1.50 crore for construction of Government Residential Quarters, Special Repairs & Renovation to Government Residential Quarters at Diu.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2016-2017 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(घ) दीव में फिशिंग प्लेटफार्म के निर्माण और 92.00 मीटर लंबे पाईल जेटी के निर्माण के निष्पादन के लिए 7.78 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement of ₹ 7.78 crore to carry out works for construction of Fishing Platform & construction of 92.00 meters long Pile Jetty at Diu.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लक्षदवीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1089.34	165.50	1254.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:		17.00	17.00
	स्वीकृत:		Voted:		0.02	0.02
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		1089.34	182.52	1271.86
	भारित:		Charged:		17.00	17.00
	स्वीकृत:		Voted:	1089.34	165.52	1254.86

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
- <u>-</u>						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		Ministry of Information and Broadcasting					
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी	स्वीकृत:	4220 - Capital Outlay on Information and	Voted:	0.01	(कa)		0.01
परिव्यय		Publicity					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	भारित:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Charged:	17.00	(खb)		17.00
परिव्यय							
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and Small	Voted:	0.01	(गc)		0.01
पूंजी परिव्यय		Industries					
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		17.02			17.02
	भारित:		Charged:	17.00			17.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) सूचना और लोक सम्पर्क विभाग के लिए विभागीय भवन के चल रहे निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 0.20 करोड़) को पूरा करने के लिए।

> इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) एन्ड्रोट द्वीप पर पॉलिटेकनिक कॉलेज के निर्माण हेतु भूमि मुआवजे के भुगतान हेतु कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 17.00 करोड़)।
 - उपरोक्त व्यय के लिए नकद खर्च की आवश्यकता होगी।
- (ग) उद्योग विभाग के लिए विभागीय भवन के चल रहे निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.55 करोड़)। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक अनुपूरक की मांग प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Meeting the additional expenditure towards the ongoing construction of Departmental building for Information and Public Relation Department (₹ 0.20 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - b) Meeting additional expenditure for implementation of Court Order for payment of land compensation for construction of Polytechnic College at Andrott Islands (₹ 17.00 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

 (c) Meeting additional expenditure for the ongoing construction of Departmental building for Industries Department (₹ 0.55 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126-127 देखिये)

(See page 126-127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(See page 126-127 of the	e Demano	ls for Grants of Central Governme	ent for the yea	r 2016-2017	7)			
							ाये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
		LODIOWAL ODANIT		Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:	<i>a</i> , ,	00.77		27.22		100 77
	भारित:		Charged:	83.77		97.00		180.77
	स्वीकृत:		Voted:	15502.67		11405.42		26908.09
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	314.04		2120.00		2434.04
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		15900.48		13622.42		29522.90
	भारित:		Charged:	83.77		97.00		180.77
	स्वीकृत:		Voted:	15816.71		13525.42		29342.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्लि	खेत मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखार	या जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be	accounted for	under the foll	owing Ma	ijor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
		DEL/ENVIE OF OTTON				Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	-	MAJOR HEAD			<i>_</i> ,			
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	314.00	(खb)	0.01	(गc)	314.01
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(घd)	•••		0.01
सहायता		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
सरकारों को सहायता अनुदान		Territory Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	314.03		0.01		314.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public	Voted:			120.00	(चf)	120.00
पूंजी परिव्यय		Works						
6217 - शहरी विकास के लिए	स्वीकृत:	6217 - Loans for Urban	Voted:	2000.00	(छg)			2000.00
ऋण		Development						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	2000.00		120.00		2120.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2314.03		120.01		2434.04
	•							
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए	गए अनुमानों में नीच	वे दर्शाई गयी वर्सू	लेयों को शा	मिल नहीं किया गय	11 है जिन्हें	व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !	-	``				
		Note: The above estimates of additional	requirements do n	ot take into acc	count the r	ecoveries show	າ below, v	which are
		adjusted in reduction of expenditure.						
प्ंजी भाग		CAPITAL SECTION						
6217 - शहरी विकास के लिए		6217 - Loans for Urban		(-) 314.00				(-) 314.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ऋण

The supplementary grants are required for:

(क) अन्य प्रशासनिक व्यय का खर्च पूरा करने के लिए (₹ 0.49 करोड़)। अनुदान (a)
 के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

Development

a) meeting expenditure for Other Administrative Expenses (₹ 0.49 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) निम्न हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए (₹ 16 करोड़); (ii)स्वच्छ भारत मिशन हेतु आस्तियों के सृजनार्थ सहायता (₹ 4.32 करोड़); और (iii) भारत अवसंरचना शेष में अंतरण(₹ 314 करोड़)का खर्च पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है रु. 314 करोड़।
- (ग) (i) डीयूएसी द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर को संपित का के भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान(₹ 0.47 करोइ) (ii) नगर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोइ) (iii) नगर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के लिए वेतन सहायता अनुदान(₹ 3.5 करोइ) (iv)एनआईयू को सामान्य सहायता अनुदान(₹ 0.40 करोइ)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) स्वच्छ भारत मिशन की पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान का खर्च पूरा (d) करना(₹ 1562.56)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ङ) स्वच्छ भारत मिशन की पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान का खर्च पूरा करना(₹ 33.12 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (च) (i) उच्चतम न्यायालय के लिए अतिरिक्त कार्यालय कांप्लैक्स का निर्माण(₹ 100 करोड़) (ii) संसद सौंध के विस्तार के निर्माण संबंधी निर्माण कार्यों(₹ 20 करोड़)का खर्च पूरा करना ।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (छ) (i) फरीदाबाद गिलयारे का काम पूरा करने के लिए डीएमआरसी-उप ऋण(₹ 184 करोड़); (ii) पीटीए का खर्च न किया गया शेष पूरा करने के लिए डीएमआरसी-पीटीए (₹ 1316 करोड़); (iii) जेआईसीए निधियन वाले पैकेजों के भुगतान हेतु चैन्नई मेट्रो-पीटीए (₹ 370 करोड़); (iv) एफटीपी-2015-16 के तहत डीम्ड एक्सपोर्ट बेनेफिट के आहरण के कारण चैन्नई मेट्रो उपकरण (₹ 130 करोड़) का खर्च पूरा करना।
 - भारत अवसंरचना कोष से पूरे की जाने वाली ₹ 314 करोड़ की राशि को देखते हु ए इससे ₹1686 करोड़ नकद देने होंगे।

- (b) meeting expenditure for (i) Grants in aid General for other Urban Development Schemes (₹ 16 crore); (ii) Grants for creation of capital assets for Swachh Bharat Mission (₹ 4.32 crore); and (iii) transfer to Bharat Infrstructure Kosh (₹ 314 crore).
 - Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 314 crore.
 -) meeting expenditure for (i) Grants in aid General for payment of Property Tax to India Habitat Centre by DUAC (₹ 0.47 crore) (ii) Grants in aid General for training Centre for Municipal Employees (₹ 0.50 crore) (iii) Grants in aid Salaries for training Centre for Municipal Employees (₹ 3.5 crore) (iv) Grants in aid General of NIUA (₹ 0.10 crore) (v) Grants in aid Salaries of NIUA (₹ 0.40 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure for Grants for Creation of Capital Assets of Swachh Bharat Mission (₹ 1562.56)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure for Grants for Creation of capital assets of Swachh Bharat Mission, (₹ 33.12 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure for (i) construction of additional office complex for Supreme Court of India (₹ 100 crore) (ii) works relating to construction of extension of Parliament House Annexe (₹ 20 crore)
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
- meeting expenditure for (i) DMRC- Sub -Debt to complete the work of Faridabad Corridor(₹ 184 crore); (ii) DMRC -PTA (₹ 1316 crore); (iii) Chennai Metro- PTA to make the payment of JICA funded packages (₹ 370 crore); (iv) Chennai Metro-Sub-Debt due to withdrawal of deemed export benefit under FTP 2015-16 (₹ 130 crore).
 - Taking into account the amount of ₹ 314 crore met from Bharat Infrastructure Kosh, this will entail a cash outgo of ₹ 1686 crore.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(4/(12/47)	rapees in Orone)
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			•	
	भारित:		Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत:		Voted:	8357.60	402.71	8760.31
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	1.80		1.80
	स्वीकृत:		Voted:	18.00	25.00	43.00
जोड़ (मूल और प्रक)	-	Total (Original plus Supplementary)		8377.40	431.71	8809.11
	भारित:		Charged:	1.80	4.00	5.80
	स्वीकृत:		Voted:	8375.60	427.71	8803.31
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्ना II. This Supplementary Grant/Appropriatio			nder the following Ma आयोजना- भिन्न	jor Heads: जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD			Non-Plan	
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	भारित:	3075 - Other Transport Services	Charged:	1.80	(कa)	1.80
	स्वीकृत:		Voted:		18.00	(खb) 18.00
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		1.80	18.00	19.80
	भारित:		Charged:	1.80	•••	1.80
	स्वीकृत:		Voted:		18.00	18.00
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजी	स्वीकृत:	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	Voted:	25.00	(गc)	25.00
परिव्यय						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		26.80	18.00	44.80
	भारित:		Charged:	1.80		1.80
	स्वीकृत:		Voted:	25.00	18.00	43.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मध्यस्थता पंचाट -अन्य प्रभार (₹ 1.80

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) फरक्का बैराज प्रोजेक्ट व्यावसायिक सेवाएं के तहत (₹ 18.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) भूजल प्रबंधन और नियमन स्कीम के तहत मोटर वाहन/ट्रक, वैज्ञानिक/ड्रिलिंग उपकरण, कंप्रेसर, की अधिप्राप्ति, प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत एक्वीफायर मैपिंग आदि हेतु जलीय डाटा बनाने संबंधी कार्यों का निष्पादन (₹ 25.00 करोड़)।
 अनदान के राजस्व/स्वीकत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant/appropriation are required for:

- payment of arbitration awards under Farakka Barrage Project -Other Charges(₹ 1.80 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

- b) meeting additional requirement under Farakka Barrage Project -Professional Services (₹ 18.00 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital/ Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - procurement of Motor Vehicles/Trucks, scientific/drilling equipment, compressor, execution of works relating to hydrological data generation for aquifer mapping etc. under Major Works in the scheme 'Ground Water Management and Regulation' (₹ 25.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/ Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपः	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		प्ंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	17878.12		30.00		17908.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the						
अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	200.03				200.03
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		18078.15		30.00		18108.15
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिर	वाया जाये	ागा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted fo	r under the f	ollowing	Major Heads	:	
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	180.00	(कa)	0.01	(खb)	180.01
कल्याण								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	20.00	(गc)			20.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(घd)			0.01
		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
को सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	200.02		0.01		200.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) निम्न स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए:- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 73.98 करोड़) (ii) कामकाजी और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹ 2.68 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 40 करोड़) (iv) महिला हेल्पालाईन (₹ 3.25 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹ 3 करोड़) (vi) अनुसंधान, प्रकाशन और मॉनीटिरेंग (₹ 0.01 करोड़); निम्न स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- अन्य स्कीमों का निधियन निर्भया फंड से किया जा रहा है (₹ 180 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण और लोक खाते
- (ख) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹ 5.30 करोड़) और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल-विकास संस्थान (₹ 0.93 करोड़) स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(निर्भया निधि) से पूरे किए जाने वाले ₹180 करोड़ को देखते हुए

(ग) निम्न स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 39.70 करोड़) (ii) कामकाजी और देखरेख The supplementary grants are required for:

- (a) for meeting additional requirement under the Scheme :(i) Integrated Child Protection Scheme(₹ 73.98 Crore),
 (ii)Scheme for welfare of Working Children in need of Care and
 Protection (₹ 2.68 Crore), (iii) Beti Bachao Beti padhao(₹ 40
 Crore), (iv) Women Helpline (₹ 3.25 Crore), (v) One Stop Centre
 (₹ 3 Crore) and (vi) Research, Publication and Monitoring (₹ 0.01
 Crore); Grants-in-aid General under the Scheme:- Other
 Schemes being funded from Nirbhaya Fund (₹ 180 Crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Grant and ₹ 180 crore met from Public Account (Nirbhaya Fund), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
 - for meeting additional requirement under the Scheme Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 5.30 Crore)and National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 0.93 Crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - for meeting additional requirement under the Scheme:(i) Integrated Child Protection Scheme (₹ 39.70 Crore)

तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (0.30 करोड़ रु.) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 10.00 करोड़) (iv) महिला हेल्पालाईन (₹ 2.50 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹ 7.50 करोड़) और (vi) एकीकृत पोषण शिक्षा (₹ 4 करोड़ रु); स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान- निर्भया निधि से वित्त पोषित की जा रही अन्य स्कीमें (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण और निर्भया निधि से पूरे किए जाने वाले ₹20 करोड़ को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) निम्न स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) निम्निलिखित उप स्कीमों के लिए महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण मिशन:- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (₹ 32 करोड़) स्वधार गृह (₹ 32.74 करोड़) महिला और बाल ट्राफिकिंग का सामना करने के लिए व्यापक स्कीम (₹ 0.01 करोड़) और काम काजी महिलाओं के लिए होस्टल (₹ 0.02 करोड़); (ii) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 260.32 करोड़) (iii) कामकाजी और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹ 0.01 करोड़) (iv) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (₹ 44.50 करोड़) (v) महिला हेल्पालाईन (₹ 17.85 करोड़) और (vi) वन स्टोप केंद्र (₹ 62 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ङ) (ङ.) निम्न स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना:- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 23 करोड़) (ii) कामकाजी और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹ 0.01 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 5.50 करोड़) (iv) महिला हेल्पालाईन (₹ 1.40 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹ 2.50 करोड़) (vi) निम्नलिखित उप स्कीमों के लिए महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण मिशन:- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:- राष्ट्रीय महिला और बाल ट्राफिकिंग का सामना करने के लिए व्यापक स्कीम (₹ 0.01 करोड़) और काम काजी महिलाओं के लिए होसटल (₹ 0.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (ii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 0.30 Crore), (iii) Beti Bachao Beti padhao(₹ 10.00 Crore), (iv) Women Helpline (₹ 2.50 Crore), (v) One Stop Centre (₹ 7.50 Crore) and (vi)Integrated Education in Nutrition (₹ 4.00 Crore); Grants-in-aid General under the Scheme:- Other Schemes being funded from Nirbhaya Fund (₹ 20 Crore)

Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Grant and ₹ 20 Crore met from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

for meeting additional requirement under the Scheme (i) Mission for protection & Empowerment of Women for the following subschemes: National Mission for Empowerment of Women (₹ 32 Crore), Swadhar Greh (₹ 32.74 Crore), Comprehensive Scheme for combating trafficking of Women and Children (₹ 0.01 Crore) and Hostels for Working Women (₹ 0.02 Crore); (ii) Integrated Child Protection Scheme (ICPS) (₹ 260.32) (iii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 0.01 Crore), (iv) Beti Bachao Beti padhao(₹ 44.50 Crore), (v) Women Helpline (₹ 17.85 Crore) and (vi) One Stop Centre (₹ 62 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

for meeting additional requirement under the scheme:-(i) Integrated Child Protection Scheme (₹ 23 Crore) (ii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 0.01 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao (₹ 5.50 Crore), (iv) Women Helpline (₹ 1.40 Crore), (v) One Stop Centre (₹ 2.50 Crore) (vi)Mission for protection & Empowerment of Women for the following sub-schemes: National Mission for Empowerment of Women (₹ 1 Crore), Swadhar Greh (₹ 0.24 Crore), Comprehensive Scheme for combating trafficking of Women and Children (₹ 0.01 Crore) and Hostels for Working Women (₹ 0.02 Crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(ক	रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1542.00		50.00	1592.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	214.85			214.85
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		1756.85		50.00	1806.85
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	गिर्ष के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the followi	ng Major H	lead:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	214.85	(कa)		214.85

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय खेल पिरसंघ को निम्न कार्यक्रमों के लिए सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान: (i)'मिशन 11 मिलियन' (₹ 30.00 करोड़), (ii) 'अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबाल टूर्नामंट', (₹ 95.00 करोड़), (iii) 'ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट' (₹ 20.00 करोड़) और (iv) '36वें राष्ट्रीय खेलों का गोवा में आयोजन' (₹ 69.85 करोड़).।

उपर्युक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

a) Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Assistance to National Sports Federations for the following programmes: (i) 'Mission 11 Million' (₹ 30.00 cr), (ii) 'Under 17 FIFA World Cup Football Tournament', (₹ 95.00cr), (iii) 'BRICS Football Tournament' (₹ 20.00 cr) and (iv) Conduct of '36th National Games' in Goa (₹ 69.85 cr).

The above expenditure will entail a net cash outgo.

ANNEXURE

अनुबंध

वर्ष 2015-16 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक है। (करोड़ रुपए)

			(कराड़ रुपए)				
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान 2015-16	_	र्विनियोग गे राशि	टिप्पणियां	
1	2	3	4		5	6	
1.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	मुख्य शीर्ष 3451 सचिवालय 3451.00.090.14.00.01	7.00	(पी)	2.84	मंत्रालय के कर्मचारियो को वेतनों के भुगतान हेतु।	
		3451.00.090.14.00.11	0.50	(पी)	0.70	मंत्रालय के कर्मचारियो के यात्रा व्यय के भुगतान हेतु।	
		3451.00.090.14.00.12	0.01	(पी)	0.60	द्विपक्षीय/बहुपक्षीय/आयोजनों/बैठकों आदि से संबंधित समझौता ज्ञापनों में प्रतिनिधियों के दोरों के लिए	
		3451.00.090.14.00.13	1.10	(पी)	1.15	टेलीफोन बिलों/स्टेशनरी/वाहनों/पेट्रोल/ मरम्मत/विद्युत बिलों/अतिथि सत्कार के बिलों के भुगतान हेतु	
		मुख्य शीर्ष 3451					
		अन्य कार्यालय				क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को वेतनों	
		3451.00.092.05.00.01	0.49	(पी)	0.15	के भुगतान हेतु	
		3451.00.092.05.00.14	0.02	(पी)	0.10	क्षेत्रीय कार्यालयों के किराये और करों के भुगतान हेतु	
		3451.00.092.05.00.13	0.02	(पी)	0.08	क्षेत्रीय कार्यालयों के टेलीफोन बिलों/ स्टेशनरी/वाहनों/पेट्रोल/मरम्मत/विद्युत बिलों/ अतिथि सत्कार के बिलों के भुगतान हेतु	
		मुख्य शीर्ष 2810 सहायक कार्यक्रम 2810.00.105.08.00.21	0.10	(पी)	0.50	आपूर्तियों एवं सामग्रियों की देनदारियों और एएमसी प्रभारों आदि के भुगतान हेतु	
2.	पोत परिवहन मंत्रालय	राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड 3052 पोत परिवहन (मुख्य शीर्ष) 80 सामान्य (उप मुख्य शीर्ष) 001 निर्देशन एवं प्रशासन (लघु शीर्ष) 02 राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड (उप शीर्ष) 00 ब्यौरा शीर्ष 02.00.13 कार्यालय व्यय (प्रयोजन शीर्ष)			0.06	गोवा में इसकी चौथी बैठक आयोजित करने पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए	
		सागर माला 3051 पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ (मुख्य शीर्ष) 01 प्रमुख पत्तन (उप-मुख्य शीर्ष) 001 निर्देशन एवं प्रशासन (लघु शीर्ष) 01 सागर माला (उप शीर्ष) 00 विस्तृत शीर्ष 01.00.14 किराया, दरें एवं कर (प्रयोजन शीर्ष)	0.00		0.0531	भुगतान किए जाने वाले बिलों की राशि आवंटन से अधिक है।	

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2015-16.

	_		(Rupees	in Cro	re)		
Sl. No.	•	I	Budget Estimates 2015-16	Amou Re-ap	int of opro-	Remarks	
1	2	3	4	5	í	6	
1.	Ministry of New and Renewable Energy	MH 3451 Secretariat 3451.00.090.14.00.01	7.00	(P) 2	2.84	For payment of Salaries to the employees of the Ministry.	
		3451.00.090.14.00.11	0.50	(P) (0.70	For payment of Travel Expenses of employees of the Ministry	
		3451.00.090.14.00.12	0.01	(P) (0.60	For visits of delegations to Foreign Countries / bilateral / multilateral / MoUs related events / meetings etc.	
		3451.00.090.14.00.13	1.10	(P)	1.15	For payment of telephone bills/ stationery/vehicles/petrol/repairs/ Electricity Bills / Hospitality Bills.	
		MH 3451					
		Other Offices 3451.00.092.05.00.01	0.49((P) (0.15	For payment of Salaries to the employees of the Regional Offices.	
		3451.00.092.05.00.14	0.02	(P) (0.10	For payment of Rent and Taxes of Regional Offices.	
		3451.00.092.05.00.13	0.02	(P) (0.08	For payment of telephone bills/ stationery/vehicles/petrol/repairs /Electricity Bills / Hospitality Bills of Regional Offices	
		MH 2810 Supporting Programmes 2810.00.105.08.00.21	0.10(P) (0.50	For payment of liabilitites on supplies and materials and for payment AMC charges etc.	
2.	2. Ministry of Shipping	National Shipping Board 3052 Shipping (Majir Head) 80 General (Sub Major Head) 001 Direction & Administration (Minor Head) 02 National Shipping Board (Sub He 00 (Detailed Head) 02.00.13 Office Expenses (Object H		9 (0.06	For meeting the expenses on holding its 4th quarter meeting at Goa.	
		Sagarmala 3051 Ports and Light Houses (Major Head) 01 Major Ports (Sub Major Head) 001 Direction & Administration (Minor Head) 01 Sagarmala (Sub Head) 00 (Detailed Head) 01.00.14 Rent, Rates & Taxes (Object Head)		0 0.0	0531	The amount of bills to be paid is more than allotment.	

		(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6		
		भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग					
		प्राधिकरण 3056 अन्तर्देशी जल यातायात (मुख्य शीर्ष)	205.72	11.0			
		00(उप मुख्य शीर्ष) 00.190 सरकारी क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों को सहायता (लघु शीर्ष) 01 भारतीय अन्तर्देशी जलमार्ग प्राधिकरण् को अनुदान (उप-शीर्ष) 00 ब्यौरा शीर्ष 01.00.35 पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष)	ī		पर किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को पूर करने के लिए		
स्कूर्ल	व संसाधन विकास मंत्राल ग्री शिक्षा और रता विभाग	य / 3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीम के लिए अनुदान <i>(उप-मुख्य शीर्ष)</i>	261.55	55.0	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकत 0 के कारण		
		165-प्राथमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 01-मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (उप-शीर्ष) 00- (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान					
2		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 186-प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (लघु-शीर्ष) 01-सामान्य घटक (उप-शीर्ष) 01-यह सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि		0.00 8.5	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकत 0 के कारण		
3		31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-राज्य सरकार को सहायता			आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकत		
		अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना रकीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00- (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	664.68	455.0	0 के कारण		
4		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00- (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	213.02	130.0	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकत 0 के कारण		

		(Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		Grants to Inland Waterways				
		Authority of India			T 1100 1 100	
		3056 Inland Water Transport	205.72	11.00	For meeting additional expenditure	
		(Major Head)	205.72	11.00	on projects/schemes of National	
		00 (Sub Major Head)			Waterways 1 and 3 including other	
		00.190 Assistance to Public Sector			projects.	
		and Other Undertakings				
		(Minor Head)				
		01 Grants to Inland Waterways				
		Authority of India (Sub Head) 00 (Detailed Head)				
		01.00.35 Grants for creation of				
		capital assets (Object Head)				
. Ministi	ry of Human Resour	ce 3601-Grants-in-aid to State Govt.			Due to urgent requirement of	
	pment/Department	(Major head)	261.55	55.00	recurring funds	
	ool Education &	02-Grants for State Plan Schemes				
Litera	cy	(Sub-Major Head)				
		165-Elementary Education- Other				
		Grants (Minor head)				
		01-Scheme for providing Education				
		to Madrassas/Minorities				
		(Sub head) 00-(Detailed Head)				
		31-Grants-in-aid General				
2		3601-Grants-in-aid to State Govt.	0.00	9.50	Due to urgent requirement of recurring funds	
		(Major head) 02-Grants for State Plan Schemes	0.00	8.50	recurring rands	
		(Sub-Major Head)				
		186-Elementary Education- Sarva				
		Shiksha Abhiyan (Minor head)				
		01 -General Component (Sub head)				
		01 - Amount to be met from Gross				
		Budgetary Support				
		(Detailed Head)				
		31 - Grants-in-aid General				
3		3601-Grants-in-aid to State Govt.			Due to urgent requirement of	
		(Major head)	664.68	455.00	recurring funds	
		02-Grants for State Plan Schemes				
		(Sub-Major Head)				
		180-Secondary Education- Other				
		Grants (Minor head)				
		06-Rashtriya Madhyamik Shiksha				
		Abhiyan (Sub head)				
		00-(Detailed Head)				
		31-Grants-in-aid General				
4		3601-Grants-in-aid to State Govt.			Due to urgent requirement of	
		(Major head)	213.02	130.00	recurring funds	
		02-Grants for State Plan Schemes				
		(Sub-Major Head)				
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes (<i>Minor head</i>)				
		05 -Rashtriya Madhyamik Shiksha				
		Abhiyan (Sub head)				
		00-(Detailed Head)				

		(करोड़		
2	3	4	5	6
5	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना रकीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	134.11	65.00	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
6	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00- (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	904.91	3.72	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
7	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	413.26	1.81	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
8	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00- (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	188.02	1.07	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
9	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	664.68	1.64	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण

			(Rup	ees in Cro	ore)
1	2	3	4	5	6
5		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 796-Tribal Area Sub-Plan (Minor head) 05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	134.11	65.00	Due to urgent requirement of recurring funds
6		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor head) 06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	904.91	3.72	Due to urgent requirement of additional funds
7		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	413.26	1.81	Due to urgent requirement of additional funds
8		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 796-Tribal Area Sub-Plan (Minor head) 05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	188.02	1.07	Due to urgent requirement of additional funds
9		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor head) 06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	664.68	1.64	Due to urgent requirement of additional funds

		(करोड़	रुपए)	
1 2	3	4	5	6
10	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	213.02	5.16	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
11	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	134.11	5.81	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
12	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	664.68	5.41	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
13	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि	705.48	43.59	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत् के कारण
14	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना रकीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्नन भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि	219.61	14.57	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण

		(Rир	ees in Cr	ore)
1 2	3	4	5	6
10	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	213.02	5.16	Due to urgent requirement of additional funds
11	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 796-Tribal Area Sub-Plan (Minor head) 05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	134.11	5.81	Due to urgent requirement of additional funds
12	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 180-Secondary Education- Other Grants (Minor head) 06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head) 00-(Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	664.68	5.41	Due to urgent requirement of additional funds
13	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 187-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01-Assistance to States (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support 31-Grants-in-aid General	705.48	43.59	Due to urgent requirement of additional funds
14	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Schedules Castes (Minor Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01-Assistance to States-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	219.61	14.57	Due to urgent requirement of additional funds

	(ক			इ रुपए)	
1	2	3	4	5	6
15		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	159.95	1.85	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
16		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 186-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 01-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस)	0.00	1000.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
17		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस)	0.00	375.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
18		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	170.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
19		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 156-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष) 03-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस) 31-सामान्य सहायता अनुदान	119.00	20.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
20		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)	34.00	35.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण

	3 4	(Rupees in C	Crore)
1 2	3		6
15	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01-Assistance to States-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	159.95 1.85	Due to urgent requirement of additional funds
16	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 186-Elementary Education-Sarva Siksha Abhiyan (Minor Head) 01-General Component (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS) 31-Grants-in-aid General	0.00 1000.00	Due to urgent requirement of additional funds
17	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Schedules Castes (Minor Head) 04-Sarva Siksha Abhiyan (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS) 31-Grants-in-aid General	0.00 375.00	Due to urgent requirement of additional funds
18	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head) 04-Sarva Siksha Abhiyan (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS) 31-Grants-in-aid General	0.00 170.00	Due to urgent requirement of additional funds
19	2552-North Eastern Areas (Major Head) 156-Elementary Education (Other Expenditure) (Minor Head) 03-Sarva Siksha Abhiyan (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS) 31-Grants-in-aid General	119.00 20.00	Due to urgent requirement of additional funds
20	2552-North Eastern Areas (Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Caste (Minor Head)	34.00 35.00)

1 2	3	4	5	6
	28-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (<i>लघु-शीर्ष)</i> 03-सर्व शिक्षा अभियान 31-सामान्य सहायता अनुदान			
21	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) 01- सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	705.48	17.74	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
22	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्योरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	219.61	17.79	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
23	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना (लघु-शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	159.95	24.21	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
24	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्नन भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) 02- राशि पीएसके से पूरी की जाएगी 31-सामान्य सहायता अनुदान	4721.00	175.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण
25	3602-केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान <i>(मुख्य शीर्ष)</i> 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान <i>(उप-मुख्य शीर्ष)</i>	70.60	0.70	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण

		(Rupees in Cr	ore)
1 2	3	4 5	6
	28-Elementary Education (Other Expenditure)(Minor Head) 03-Sarva Siksha Abhiyan 31-Grants-in-aid General		Due to urgent requirement of additional funds
21	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 187-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01-Assistance to States (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	705.48 17.74	Due to urgent requirement of additional funds
22	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Schedules Castes (Minor Head) 57-Elementary Education-National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head) 01-Assistance to States (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	219.61 17.79	Due to urgent requirement of additional funds
23	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head) 01-Assistance to States (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	159.95 24.21	Due to urgent requirement of additional funds
24	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 187-Elementary Education National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01-Assistance to States (Sub Head) 02-Amount to be met from PSK 31-Grants- in- aid General	4721.00 175.00	Due to urgent requirement of additional funds
25	3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)	70.60 0.70	Due to urgent requirement of additional funds

	(करोड़ रुपए)						
1 2	3	4	5	6			
	187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्नन भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-केंद्र शासित प्रदेश को सहायता (उप शीर्ष) 01- सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान						
26	3602-केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान (उप शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-केंद्र शासित प्रदेश को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	19.80	0.20	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण			
27	3602-केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्नन भोजन कार्यक्रम 01-केंद्र शासित प्रदेश को सहायता (उप शीर्ष) सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	8.60	0.10	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकत के कारण			
28	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 156-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष) 02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (उप-शीर्ष) 10-पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सहायता (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	89.00	239.72	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण			
29	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 156-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष) 02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम <i>(लघु-शीर्ष)</i>	3.31	23.00	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण			

		(Ru)	pees in Cr	ore)
1 2	3	4	5	6
	187-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01-Assistance to Union Territory Governments (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General			
26	3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head) 01-Assistance to Union Territory Government (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	19.80	0.20	Due to urgent requirement of additional funds
27	3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head) 01-Assistance to Union Territory Government (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	8.60	0.10	Due to urgent requirement of additional funds
28	2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head) 02-National Programme of Mid- Day Meals in Schools (Sub-Head) 10-Assistance to States in North Eastern Region (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	89.00	239.72	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
29	2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head) 02-National Programme of Mid- Day Meals in Schools (Sub-Head)	3.31	23.00	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance

		(करोड़ रुपए)						
1	2	3	4	5	6			
		10-पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सहायता <i>(ब्यौरा शीर्ष)</i> 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान						
30		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष) 02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	25.00	130.44	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण			
31		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्योरा शीर्ष) 02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (ब्योरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	1.40	7.00	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण			
32		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 35-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष) 02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्रन भोजन कार्यक्रम (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	0.79	4.00	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसरे आंकड़ों में संशोधन के कारण			
33		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	705.48	1273.52	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसर आंकड़ों में संशोधन के कारण			
34		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान <i>(मुख्य शीर्ष)</i> 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान <i>(उप-मुख्य शीर्ष)</i>	219.61	296.67	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएस आंकड़ों में संशोधन के कारण			

		(Rupees in Cr	ore)
1 2	3	4 5	6
	10-Assistance to States in North Eastern Region (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets		
30	2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head) 28-Elementary Education-Other Expenditure (Detailed Head) 02-National Programme of Mid- Day Meals in Schools (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	25.00 130.44	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
31	2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head) 28-Elementary Education-Other Expenditure (Detailed Head) 02-National Programme of Mid- Day Meals in Schools (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	1.40 7.00	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
32	2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 796-Tribal Area Plan (Minor-Head) 35-Elementary Education-Other Expenditure (Sub Head) 02-National Programme of Mid- Day Meals in Schools (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	0.79 4.00	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
33	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 187-Elementary Education- National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Minor-Head) 01-Assistance to States (Sub-Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	705.48 1273.52	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
34	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)	219.61 296.67	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance

		(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6		
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान					
35		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना रकीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	159.95	77.21	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण		
36		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 156-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय <i>(लघु शीर्ष)</i> 03-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सामान्य घटक (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	119.00	261.07	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण		
37		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 156-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष) 03-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सामान्य घटक (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	21.00	49.97	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण		
38		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना	6.00	54.55	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण		
		28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय <i>(ब्यौरा शीर्ष)</i> 03-सर्व शिक्षा अभियान (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान					

	<u> </u>	(Rupees in Crore)				
1	2	3 4		5	6	
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Sub-Head) 01-Assistance to States-(Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General				
35		3601-Grants-in –aid to State Govt. (Major-Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major-Head) 796-Tribal Area Plan (Minor-Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Sub-Head) 01-Assistance to States-(Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	159.95	77.21	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance	
36		 2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head) 03- Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01- General Component (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General 		261.07	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance	
37		2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head) 03-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01-General Component (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	21.00	49.97	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance	
38		2552-North Eastern Areas (Major Head)00-(Sub Major Head)789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head)	6.00	54.55	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance	
		28-Elementary Education-Other Expenditure (Detailed Head) 03-Sarva Shiksha Abhiyan (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	l)			

		(करो	ड़ रुपए)	
1 2	3	4	5	6
39	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष) 03-सर्व शिक्षा अभियान (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	34.00	278.88	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
40	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (जप-मुख्य शीर्ष) 186-प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (लघु शीर्ष) 01-सामान्य घटक (जप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	0.00	1149.18	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
41	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (जप-मुख्य शीर्ष) 186-प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (लघु शीर्ष) 01-सामान्य घटक (जप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्योरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	2430.29	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण
42	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	0.00	424.84	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण
43	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्योरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	880.51	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसवे आंकड़ों में संशोधन के कारण

			(Rı	ipees in Cr	ore)
1	2	3 4		5	6
39		2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head) 28-Elementary Education-Other Expenditure (Sub Head) 03-Sarva Shiksha Abhiyan (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	34.00 d)	278.88	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
40		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 186-Elementary Education- Sarva Shiksha Abhiyan (Minor-Head) 01-General Component (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	0.00	1149.18	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
41		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 186-Elementary Education- Sarva Shiksha Abhiyan (Minor-Head) 01-General Component (Sub Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	0.00	2430.29	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
42		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 04- Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	0.00	424.84	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
43		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 04-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	0.00	880.51	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance

			(करोड़	ड़ रुपए)	
1	2	3	4	5	6
44		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	0.00	198.70	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
45		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	482.89	वित्त मत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण

			(Ru	<u> </u>		
1	2	3	1	5	6	
44		3601-Grants-in –aid to State Govt. (Major-Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major-Head) 796-Tribal Area Plan (Minor-Head) 04-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	0.00	198.70	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance	
45		3601-Grants-in –aid to State Govt. (Major-Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major-Head) 796-Tribal Area Plan (Minor-Head) 04-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	0.00	482.89	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance	